कहा — 495 —

हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-171009 का लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

...

अवधि : 1996-97

भाग - I

1. **गत लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन**

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई को लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेख सहित पुनर्समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । इस सन्दर्भ में मौखिक अनुरोधों के अतिरिक्त आडिट अधियाचना संख्या: फिन(एल.ए.)ए.सी.-25, दिनांक 21.3.98, संख्या: फिन(एल.ए.)ए.सी.-53, दिनांक 21-5-98 तथा संख्या फिन (एल.ए.) ए.सी. — 96 दिनांक 6.6.98 द्वारा भी अनुरोध किया गया था किन्तु सटिप्पण उत्तर अंकेक्षण की समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की जाये तथा नीचे दिए गए लम्बित आडिट पैरों के निपटान हेतु समुचित ध्यान दिया जाये ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1988-89

पैरा 6 व पैरा 10

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1989-90

पैरा 6, पैरा 8(ख), पैरा 10, पैरा 12(ख), पैरा 12(घ) पैरा 13(ग से ड), पैरा 14(क), पैरा 17(क)(च)(श), पैरा 19(ग)(घ)(च)(छ)(ज)(झ)(द), पैरा 23(ग)(घ)(ड), पैरा 24 से 27

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1990-91

पैरा 5 से 11, पैरा 13 से 18, पैरा 20 से 27, पैरा 29 से 32, पैरा 33 से 34, पैरा 42 तथा 43(अ), पैरा 46, 48(2), पैरा 51(2), पैरा 53(बी), पैरा 58 से 61

पैरा 62 से 67, पैरा 70 से 71, पैरा 73, पैरा 75 से 76,

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1991-92

पैरा 5 से 8, पैरा 9(क), 9(ख), 9(ग), 9(घ), 9(ङ)
9(च), 9(छ), 9(ज), 9(झ), 9(ञ), 9(ट)(1), 9(ढ)(4)
9(ड)(1), 9(ड)(2), 9(द)(1), 9(द)(2), 9(द)(4), 9(द)(5)
9(ण)(3), 9(ण)(4), 9(त)(1), 9(त)(2), 9(त)(4), 9(त)(7)
9(त)(8), 9(थ), 9(ध), 9(न)
पैरा 10 (10)ग तथा घ को छोड़कर) पैरा 11

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1992-93

पैरा 3 से 15, पैरा 16(बी), 16(सी), 16(डी),
पैरा 17, 18(बी), 19, पैरा 23 से 33

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1993-94

पैरा 4 से 10, पैरा 11(बी), 11(सी), 11(डी), 11(जी)
11(एच), 11(आई), 11(के), 11(एल), 11(एम), 11(एन)
11(ओ), 11(पी), 11(क्यू)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1994-95

पैरा 4(बी), 4(सी), 4(डी), 4(ई), 4(जी)
पैरा 5.2(सी), 5.2(डी), 5.2(ई), 5(3), 5(4), 5(6)
5(7), 5(11), 5(14), 5(16), 5(17), 5(18), 5(20)
5(21), 5(22), 5(23), 5(24)
पैरा 6(3)(1), 6(5), 6(6), 6(16), 6(18), 6(19), 6(20)
पैरा 7(1), 7(2), 7(3)(बी), 7(8), 7(11),
पैरा 8, 9 पैरा 13(1), 13(3), 13(4)
पैरा 14, 19, 21, 22, 23, 25, 31

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1995-96

पैरा 4 से 51

....3.

26000485-73

भाग - 2

2. वर्तमान लेखा परीक्षा:-अवधि 4/96 से 3/97 तक की वर्तमान लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, श्री भूमेन्द्र कुमार लोहिया,सहायक नियन्त्रक{ले0प0}एवं पार्टी द्वारा दिनांक 27.1.98 से 13.8.98 तक किया गया । मास 6/96 एवं 3/97 के मासों के लेखों का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया ।

इस प्रतिवेदन में मुख्यत: निम्न प्रकरणों को समाविष्ट किया गया है :-

पैरा-4:- प्राधिकरण द्वारा समुचित राशि बैंक खातों में उपलब्ध होते हुए भी बैंकों से ऋण प्राप्त करके 38,45,752 रू. की क्षति पंहुचाई गई ।

पैरा-6: वेतन के गलत निर्धारण के कारण 17450 रू. की अधिक अदायगी ।

पैरा-13{ट} 59289.00रू.मूल्य के सरिए का सम्भावित दुर्विनियोजन ।

पैरा-14{ठ} 1800 बैग सीमेन्ट की हेराफेरी ।

पैरा-14{त} 23,04,503.00रू. के क्रय वाउचरों को प्रस्तुत न करना ।

पैरा 19{ख} 1,52,653 रू. के प्रत्याभूत अग्रिम को न वसूल करना ।

पैरा 19{ङ.} 1290 बोरी सीमेन्ट की हेराफेरी ।

पैरा 20{घ} 1,69,419रू. की भण्डारण वस्तुओं का सम्भावित गबन ।

पैरा 27{क} 1,88,474 रू. की ठेकेदार को अधिक अदायगी ।

पैरा 28:- 2,25,019 रू. की बिक्री कर की वैधानिक वसूली न करना ।

पैरा 29:- 2,08,829.58 रू. की राशि को ठेकेदार को अधिक अदा करना ।

पैरा 30:- 1,29,523.76रू. की ठेकेदार को अधिक अदायगी करना ।

पैरा 31:- 76045 रूपये की ठेकेदार को अधिक अदायगी करना ।

पैरा 32:- 52647.00रूपये मूल्य की खाली बोरियों को राशि का न वसूलना ।

पैरा 34{ख} 19475.90रूपये की राशि की ठेकेदार को अधिक अदायगी ।

पैरा 35:= 19754.75 रू. की राशि की ठेकेदार को अधिक अदायगी ।

पैरा 36:- ठेकेदारों से काटे गए बिक्री कर से 10000रूपये की राशि का जमा न करना ।

पैरा 37:- 9342.00रूपये की राशि का ठेकेदार को अधिक अदा करना ।

पैरा 38:- काटे गए बिक्रीकर से 5920/= रूपये की राशि को ठेकेदार को अनुचित वापसी ।

पैरा 39:- 5694.20रूपये की अधिक अदायगी ।

पैरा 41:- भण्डारण से जारी किए गए सीमेन्ट मुल्य 5160.00 रूपये की वसूली न करना ।

पैरा 54{ङ.} 67666 रूपये का अनुचित भुगतान ।

पैरा 64{ङ} गलत गणनाओं के कारण 12795रूपये की अधिक अदायगी न करना ।

पैरा 65:- दीप धारा बिल्डर्ज से 2,65,305 रूपये की वसूली न करना ।

पैरा 70:- 13,82,936रूपये के निर्माण कार्यों को अनुचित ढंग से बांटना ।

लगातार पृष्ठ 4 पर...

3. लेखा परीक्षा शुल्क : उपरोक्त लेखा परीक्षा का शुल्क 22530/- रु० बनता है, जिसका विवरण परिशिष्ट "क" में दिया गया है। मुख्य प्रशासक, हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-171009 से सहायक नियंत्रक(लेखा परीक्षा) द्वारा उनकी समपरीक्षा अधिशाषी पत्र संख्या: फिन(का.प.)ए-सी-170 दिनांक 13.8.98/12.11.98 द्वारा अनुरोध किया गया है कि लेखा शुल्क की उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, शिमला-2 को भेजी जाए ताकि यह राशि सरकारी कोष में जमा की जा सके।

4. अंतिम लेखे :- हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 के वर्ष 1996-97 के आय एवं व्यय का विवरण तथा तुलन पत्र (Balance Sheet) इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण के वर्ष 1996-97 के तुलन पत्र तथा आय-व्यय से सम्बन्धित निम्न टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं।

1) निवेश : हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 द्वारा दिनांक 31.3.97 को प्रस्तुत अभिलेख अनुसार विभिन्न बैंकों में मियादी डिपाजिट्स में कुल 5,24,79,000 रु० की राशि निवेशित थी, जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" में दिया गया है। जबकि तुलन पत्र में उक्त वास्तविक निवेश के स्थान पर केवल 5,02,46,000 रु० की राशि को ही गणना में लिया गया है। इस प्रकार 22,33,000 रु० का अन्तर है। जिस कारण तुलन पत्र सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता।

2) विभिन्न सावधिक निवेशों पर वर्ष 1996-97 में प्राप्त ब्याज :

वर्ष 1996-97 में विभिन्न बैंकों में किए गए निवेशों पर कुल 70,49,730 रु० ब्याज के प्राप्त किए, जिसका विवरण परिशिष्ट "ग" में दिया है। इस राशि में से केवल 792730 रु० ही आय-व्यय विवरणिका के आय पक्ष में लिए गए जबकि यह आय रेवन्यू आय होने के कारण आय-व्यय विवरणिका में दर्शाया जाना चाहिए था। अतः आय-व्यय लेखे सही स्थिति नहीं दर्शाते हैं। इस प्रकरण में ब्याज की पूरी राशि आय व्यय लेखे में न लेने बारे औचित्य के साथ स्पष्टीकरण दें।

3) सावधिक निवेश पर प्राप्ति योग्य ब्याज का लेखा, सूची-1 मद संख्या 3

वर्ष 1996-97 में विभिन्न बैंकों की एफ.डी.आर. पर प्राप्ति योग्य ब्याज तुलन पत्र में 46,18,614.74 रुपये दर्शाए गए हैं जबकि उपलब्ध कराए अभिलेख अनुसार वास्तव में यह राशि 45,98,981 रु० बनती है, जिसका विवरण परिशिष्ट "घ" में दिया गया है। इस प्रकार अन्तर 19633.74 रु० का निकलता है। अतः तुलन पत्र में सही स्थिति स्पष्ट नहीं होती। आवश्यक मिलान करें तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा पर दर्शाई जावे।

4) बैंक ओवर ड्राफ्ट एवं उधार लेखे (सूची-डी, मद 3 तथा 4

वर्ष 1996-97 के तुलन पत्र में दायित्वों के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण ने सूची डी की मद संख्या: 3 एवं 4 अनुसार क्रमशः 17,93,320 रुपये तथा 2,46,10,004.01 रुपये कुल राशि 2,64,03,324.01 रुपये की राशि बैंक से ओवर ड्राफ्ट/उधार के रूप में पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त की गई थी जिसके लिए हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण ने अपनी निवेश की हुई निधि (एफ.डी.आर.) को गिरवी रख करके ओवर ड्राफ्ट/उधार प्राप्त किया है। यह ओवर ड्राफ्ट उधार की सुविधा प्राधिकरण द्वारा 18½ प्रतिशत के ब्याज के आधार प्राप्त की है तथा वर्ष 1996-97 की अवधि में प्राधिकरण ने आय-व्यय लेखे अनुसार 30,45,752 रुपये की अदायगी ब्याज के रूप में बैंक को की है। उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जब प्राधिकरण के पास 5,24,79,000 रुपये की राशि विभिन्न बैंकों में निवेश की हुई थी तो पंजाब नेशनल बैंक से ओवर ड्राफ्ट/उधार लेने का क्या औचित्य है। अतः इस प्रकार प्राधिकरण को अनावश्यक क्षति पहुँचाई गई है। अतः लिए ओवर ड्राफ्ट/उधार पर अदा की गई राशि निकाली जावे तथा सम्बन्धित

अधिकारी पर उत्तरदायित्व निश्चित किया जावे ।

इसके अतिरिक्त प्रस्तुत किए अभिलेख के अनुसार दिनांक 31.3.97 को कुल ओवर ड्राफ्ट/उधार की राशि 2,60,00,485.73 रुपये बनती है तथा ब्याज की राशि 39,03,238 रुपये बनती थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इस प्रकार तुलन पत्र में ली गई राशि सही प्रतीत नहीं होती अतः अन्तर क्रमशः ओवर ड्राफ्ट/उधार में 4,02,839.08 रु. तथा ब्याज में 57486 रुपये का है। अतः बैंक से मिलान करें तथा वास्तविक स्थिति आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जावे ।

अदा किये गए ब्याज का विवरण :-

बैंक	खाता स्त्रोत में लिया	बैंक स्त्रोत/ विवरण अनुसार (रु.)	आय व्यय विवरण में लिया (रु.)	अन्तर (रु.)
पंजाब नेशनल बैंक	कुल:	3903238	3845752	57486
खाता सी-011	903680			
-"- 5850	1901267			
-"- 6331	1040805			
-"- 2062	57486			
	3903238			

ओवर ड्राफ्ट/ उधार की राशि का विवरण 31.3.97 को :

बैंक स्त्रोत/ विवरणिकानुसार ओवर ड्राफ्ट 31/3/97	तुलन पत्र में कुल राशि शड्यूल की मद 3 एवं 4 अनुसार	अन्तर	टिप्पणी
26000485.73	26403324.81	402839.08	पंजाब नेशनल बैंक के विभिन्न खाता अनुसार ओवर ड्राफ्ट/ उधार निम्न था:

खाता संख्या	राशि
सी-011	6828426.00
5850	11527512.73
6331	5903786.00
2062	1740761.00
	26000485.73

5) हुडको (HUDCO) से प्राप्त उधार के लेखे (शडयूल सी)

हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण द्वारा तुलन पत्र के देनदारी पक्ष में 7,82,70,000 रु० (पूंजीगत उधार) की राशि की दिनांक 31.3.97 को देनदारी बताई गई है, यह राशि हुडको से सरकार की गारंटी पर प्राप्त की गई थी हुडको से उधार प्राप्त की गई राशि से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि लेजर अनुसार दिनांक 31.3.97 को उधार राशि 7,82,70,000 रु० दर्शायी गई जबकि हुडको को भेजी विवरणी में यह राशि 77411000 रु० दर्शाई गई थी जिस कारण दोनों राशियों में 859000 रु० का अन्तर है, जिससे तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि स्पष्टतया अशुद्ध है। अतः इस सन्दर्भ में प्राप्त की गई उधार की राशि तथा हुडको को वापिस की गई राशि का तुरन्त मिलान किया जाए तथा तदानुसार ही तुलन पत्र का संकलन सुनिश्चित करें। उक्त राशि की वापिसी स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार ही हो ।

6) तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में दर्शाया चल दायित्व (शडयूल ई)

क) ब्याना (अरनेस्ट मनी) लेखे (शडयूल ई मद 1(1))

तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में चल दायित्व के अन्तर्गत कुल 78287888 रु० का दायित्व दर्शाया गया था, जिसमें ब्याना (अरनेस्ट मनी) के 97212746 रु० तुलन पत्र के शडयूल ई, मद 1(1) के अनुसार जमा है। ब्याना के अन्तर्गत जमा राशि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पाया गया कि 31.3.97 को ब्याना की राशि प्राधिकरण द्वारा तुलन पत्र में ली राशि में 1651650 रु० का अन्तर है। जिस कारण 31.3.97 को ली गई राशि 97212746 रु० स्पष्टतया अशुद्ध प्रतीत होती है। उसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः स्थिति को स्पष्ट करें तथा वांछित कार्यवाही की अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर बताई जावे ।

501/-

विवरण :

तुलन पत्र के दायित्व शड्यूल-ई के मद 1(1) अनुसार गत शेष	77852864.00
वर्ष 1996-97 में बयाना की राशि उप रोकड़ वही / प्राप्ति वही अनुसार प्राप्त हुई	20632537.00
	98485401.00
विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत बयाना की राशि वर्ष 1996-97 में वापिस हुई।	2924305.00
31.3.97 को अन्त शेष होना चाहिए था	95561096.00रु.
अतः तुलन पत्र में शड्यूल ई, मद 1(1) के अनुसार राशि	97212746.00रु.
ऊपर विवरण अनुसार राशि कमी	95561096.00रु.
अन्तर	1651650.00रु.

ब) प्रेफरेन्स मनी लेखे (शड्यूल"ई" मद 1(1))

तुलन पत्र में दायित्व पक्ष में चल दायित्व के अन्तर्गत कुल 78287I880. रु. चल दायित्व दर्शाया गया है, जिसमें 31.3.97 को प्रेफरेन्स मनी की राशि 1179578 2.94 रु. भी शामिल है। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन आवंटियों को उनके प्रेफरेन्स अनुसार फ्लैट अथवा प्लाट आदि का आवंटन किया गया है उस स्थिति में उनके द्वारा जमा प्रेफरेन्स मनी की राशि आय व्यय लेखे में आय पक्ष में ली जानी चाहिए थी न कि दायित्व लेखाओं में परन्तु इस सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेफरेन्स मनी की राशि जिन आवंटियों को उनके प्रेफरेन्स अनुसार अलाटमेंट की थी। उन द्वारा जमा प्रेफरेन्स मनी को आय व्यय लेखे में आय पक्ष में आय के रूप में नहीं लिया गया तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख अंकेक्षण के समय ~~xxxxxxx~~ प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण का स्पष्टीकरण करें तथा उचित कार्यवाही अमल में लाई जावे। अतः

प्रफरेन्स मनी की यह राशि तुलन पत्र में दायित्व पक्ष में लेने बारे औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया ।

ग) आवंटियों द्वारा किश्तों की राशि जमा लेखे (शड्यूल ई मद 1(3)

तुलन पत्र में दायित्व पक्ष में चल दायित्व के अन्तर्गत जो कुल 78(28(782871888.11 रु० की राशि ली गई है । दिनांक 31.3.97 को आवंटियों द्वारा जमा किश्तों की राशि शड्यूल ई मद 1(3) अनुसार 571897098.35 रु० भी शामिल है। आवंटियों द्वारा किश्तों की जमा राशि का प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.97 को इसमें 1377509 रु० का अन्तर है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। जिस कारण किश्तों की जमा राशि 571897098.35 को दायित्व में लेना ठीक प्रतीत नहीं होता। इस प्रकरण में स्थिति स्पष्ट करें।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि जिन आवंटियों को उनके आवंटित फ्लैट/प्लाट आदि का कब्जा दिया जा चुका है तथा बहुत आवंटियों ने पूर्ण तथा अंतिम भुगतान भी कर दिया है। उन द्वारा जमा राशि को दायित्व नहीं माना जा सकता। इसलिए उन द्वारा जमा राशि को दायित्व ही दिखाने का क्या औचित्य है। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

विवरण :

शड्यूल "ई" मद 1(3) अनुसार गतशेष की राशि	423721491.00रु०
वर्ष 1996-97 में सहायक रोकड़ बही/प्राप्ति बही अनुसार कुल प्राप्ति	152563447.00रु०
	576284938.00रु०
वर्ष 1996-97 में विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत आवंटियों को वापिस की गई राशि	3010 336.00
दिनांक 31.3.97 को अन्त शेष होना चाहिए	573274602.00रु०
अतः अन्त शेष दिनांक 31.3.97 ~~xxxxxxxx~~	573274602.00 रु०
तुलन पत्र के शेड्यूल ई मद 1(3) अनुसार अन्त शेष	571897093.00 रु०
अन्तर	1377509.00 रु०

7) अन्य आय लेखे (शड्यूल "एन" मद संख्या 2)

1996-97 के आय व्यय लेखे में अन्य आय/प्राप्तियों के अन्तर्गत कुल 6227802.88 रु. लिए है जिसमें शड्यूल "एन" के मद संख्या 2 में दर्शाए 1775597 रु. भी शामिल है, जबकि प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया कि यह राशि 1807471 रु. बनती है। परिणामस्वरूप 31874 रु. का अन्तर आता है, जिसका विवरण नीचे दिया है। इस प्रकार अन्य आय के अन्तर्गत ली गई 1775597 रु. की राशि सही प्रतीत नहीं होती। स्थिति स्पष्ट करते हुए उचित कार्यवाही अमल में लाई जावे।

विवरण :

वर्ष 1996-97 में उप रोकड़ बही/प्राप्ति विवरणिका में कुल अन्य आय/प्राप्तियां प्राप्त की	24667054.00 रु.
बैंकों से उधार प्राप्त राशि जिसे अन्य आय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया था परन्तु बाद में इसे बैंकों लेखे में जमा किया	23326389.00 रु.
	1340665.00 रु.
बयाना (अरनेस्ट मनी) को अन्य आय में वर्गीकृत किया था बाद में सही शीर्ष के अन्तर्गत लेखे में जमा की। (-)	99660.00 रु.
	1250005=00 (हस्तलिखित)
4/96 में चैक अनादर हुआ (हस्तलिखित)	(-) 5760=00 (हस्तलिखित)
	1244245=00 (हस्तलिखित)
निर्माण मण्डलों से प्राप्त अन्य आय को लेखे में जनरल प्रविष्टि अनुसार ली गई (+)	563226.00 रु.
वर्ष 1996-97 में अन्य आय	1807471.00 रु.
आय व्यय लेखे में शड्यूल "एन" मद संख्या 2 अनुसार ली राशि	1775597.00 रु.
अन्तर	31874.00 रु.

8) कार्य प्रगति लेखे (शड्यूल "जी")

तुलन पत्र में निर्माणाधीन कार्य (Work in progress) के अन्तर्गत सम्पत्ति पक्ष में, दिनांक 31.3.97 को कुल 78237967.69 रुपये दर्शाये गए हैं, जिसमें वर्ष 1996-97 के 15333402 रु. भी शामिल हैं,

 - 503 -

जिसका विवरण शड्यूल "जी" में दिया गया है। नगर विकास प्राधिकरण के विभिन्न निर्माण मण्डलों की ट्रायल बैलेंसों का अवलोकन करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डलों द्वारा निर्माणाधीन कार्य (work in Progress) के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में जो राशि दर्शाई गई है वह 178165823 रू० बनती है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ङ" के अन्तर्गत संलग्न किया गया है। इस प्रकार नगर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय में 153333402 रू० निर्माणाधीन कार्य के अन्तर्गत बताए गए हैं जबकि निर्माण मण्डलों की ट्रायल बैलेंसों में 178165823 रू० बताऐं गए हैं, परिणामस्वरूप दोनों में 24832421 रू० का अन्तर है, जिससे प्रतीत होता है कि तुलन पत्र में निर्माणाधीन कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में जो राशि दर्शाई गई है वह सही नहीं है। अतः नगर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय के लेखों का निर्माण मण्डलों के लेखों/ ट्रायल बैलेंसों से मिलान किया जावे तथा अन्तर को यथोचित रूपेण स्पष्ट किया जाए व प्रगति से अवगत कराया जावे।

9) <u>ऐजेन्सी चार्जिज</u> : वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न निर्माण मण्डलों द्वारा कराए गए निर्माण कार्य पर खर्च राशि पर 25% की दर से ऐजेन्सी चार्जिज लिए गए तथा ट्रायल बैलेन्स शीट के क्रेडिट पक्ष में दर्शाए गए जिसका विवरण नीचे दिया गया है परन्तु नगर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय कार्यालय द्वारा ऐजेन्सी चार्जिज की राशि अन्तिम लेखों में शामिल नहीं की गई है तथा न ही इस बारे कोई कारण बताया गया, जबकि ऐजेन्सी चार्जिज की राशि आय व्यय खाते/लेखे में रेवन्यू आय के तौर पर ली जानी चाहिए थी, जिस कारण आय व्यय लेखे सही प्रतीत नहीं होते। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐजेन्सी प्रभारों की राशि अंतिम लेखों में न लेने के कारण क्या विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत कराऐ जा रहे निर्माण कार्य के कीमत निर्धारण (Costing) में प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करें तथा यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है

विवरण :

क्रमांक	निर्माण मण्डल/उपमण्डल नगर विकास प्राधिकरण	मण्डलों के द्वारा कैश शीटों में ऐजेन्सी चार्जिज की ली गई राशि (रु०)
1.	डिजाइन मण्डल	18091198.00 रु.
2.	निर्माण मण्डल संख्या 1	5364951.00 रु.
3.	निर्माण मण्डल संख्या 2	8874583.00 रु.
4.	बिजली उप मण्डल	1871174.00 रु.
5.	निर्माण उपमण्डल धर्मशाला	1150743.00 रु.
	जोड़	35352649.00 रु.

10. स्थायी सम्पत्ति (शड्यूल एफ मद संख्या 20)

ब्लाक संख्या 5 एवं 7 जिसका कुल क्षेत्रफल 761.40 वर्गमीटर है का निर्माण नगर विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यक परिसर, न्यूमपटी स्कीम के अन्तर्गत किया गया था। इन ब्लाकों को नगर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय/कार्यालय के तौर पर प्रयोग किया जा रहा था। इन ब्लाकों को नगर विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति जनरल वाउचर संख्या 18 के अनुसार बनाई गई तथा इसका लगभग मूल्य 27,90000 रु. कार्यकारी अभियन्ता, डिजाईन मण्डल के पत्र संख्या:एच.पी.एन.वी.पी(डी)डी-वी-8/97-1380 दिनांक 13.11.97 के अनुसार आंका गया। इस सन्दर्भ में निम्न टिप्पणियां अपेक्षित है।

1) ब्लाक संख्या 5 एवं 7 का वास्तविक मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया अपितु लगभग मूल्य आधार पर उसे सम्पत्ति पक्ष में बढ़ाया गया। इस बारे स्पष्टीकरण देते हुए उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये।

2) नगर विकास प्राधिकरण का सम्पत्ति पुस्तक में इन्द्राज नहीं दर्शाया गया। अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शायी जाये।

11. स्टाक (Stock) तुलन पत्र में सम्पत्ति पक्ष की ओर दिनांक 31.3.97 को स्टाक का शेष(नकी) (-) 4024554.28 रु. दर्शाया

गया है, जबकि बिन कार्ड में 31.3.97 को स्टाक का शेष 2514913 रुपये था जिसका विवरण नीचे दिया है तथा इसके अतिरिक्त लेजर संख्या:11 पृष्ठ 183 एवं 433 पर क्रमश: 1244 रु. तथा 92837 रु. का शेष स्टाक क्रमश: लकड़ी स्लीपर एवं अन्य सामग्री का था जिसका विवरण संलग्नक "एच" में दिया गया है। अतः यह ऐसी सम्भावना हो सकती है कि जब बिन कार्ड में स्टाक का 2514913 रु. का शेष है फिर भी तुलन पत्र में स्टाक तृण रकम-(4024554.28 रु. दर्शाया गया है। स्पष्टतया तुलन पत्र में सही स्थिति नहीं दर्शायी गई है। अतः नगर विकास प्राधिकरण इस सम्बन्ध में विस्तार से जांच करे तथा वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत कराया जाये।

विवरण : 31.3.97 को बिन कार्ड अनुसार स्टाक का शेष निम्न था :

क्रमांक	बिन कार्ड संख्या	विवरण	शेष	दर	राशि (रु.)
1.	डी-89	सीमेंट	486 बोरी	131/-	63666.00
2.	डी-79	8 एमएम टोर स्टील	21.73 एमटी	17850	387916.00
3.	डी-80	10 एमएम टोर स्टील	16.753 एमटी	17850	299041.00
4.	डी-57	12 एमएम टोर स्टील	12.990 एमटी	17250	224077.00
5.	डी-77	16 एमएम टोर स्टील	16.000 एमटी	16700	267350.00
6.	डी-83	20 एमएम टोर स्टील	15.870 एमटी	16300	258681.00
7.	डी-78	25 एम.एम टोर स्टील	9.025 एमटी	16300	147108.00
8.	डी-15	सी.जी.आई शीट 10	19.780 एमटी	27637	546660.00
9.	डी-9	सी.जी.आई शीट 8	0.21 एमटी	27556	5897.00
10.	डी-10	पी.जी.आई शीटें	0.105 एमटी	27555	2893.00
11.	डी-11	बिटुमन	286 ड्रम	1050	300300.00
12.	डी-35	टोर बोल्ट 150एमएम x 10 एमएम	1240 नग	2.75	3410.00
13.	डी-36	तम्बू 20 एमएम	8000 नं.	6.20 प्रति 200 तम्बू	248.00
14.	डी-37	बिटुमन ड्रम रिंग	50 नं.	41.20	2060.00
15.	डी-38	फेस मास्क	52 नं.	16	832.00
16.	डी-39	तकली की लकड़ी (विभिन्न परिमाप)	0.792 घन मी०	2365	1873.00
17.	डी-40	पायल की लकड़ी (नाम स्टैण्डर्ड)	0.116 घन मी०	2365	274.00

18.	डी-42	चाकू एसडीए-58	0.43घन मी.	1905	819.00
19.	डी-43	एसडीए आयरन एंगल	100नं.	2	200.00
20.	डी-41	सीजीआई शीट 9	0.108 एमटी	1490	1608.00
			जोड़		2514913.00रू.

12) डाक टिकट लेखे (शाखा "के" मद संख्या 1)(एफ)

तुलन पत्र के साथ संलग्न शाखा "के" में मद संख्या 1 (एफ) के अन्तर्गत मुख्य कार्यालय में डाक टिकटों का शेष दिनांक 31.3.97 को 5465 रुपये दर्शाया गया है जबकि डाक टिकट प्रयोग पुस्तक अनुसार यह शेष दिनांक 31.3.97 को केवल 181 रू. दर्शाया गया था। इस प्रकार 5284 रू. (5465)-(181 =5284) का अन्तर आता है। इस प्रकार तुलन पत्र में 5465 रुपये का लिखा गया शेष सही प्रतीत नहीं होता। अतः डाक टिकट लेखे का मिलान करें तथा आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शायी जाये।

13) जनरल वाउचर 23 के अन्तर्गत 900 रुपये का डेबिट विभिन्न आय के शीर्ष के अन्तर्गत लेजर II पृष्ठ 383 में डाला गया परन्तु उसका तदनुरूप क्रेडिट नहीं डाला गया। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक लेखे की प्रविष्टी को सम्बन्धित शीर्षों को डेबिट एवं क्रेडिट किया जाता है परन्तु उपरोक्त जनरल वाउचर के अन्तर्गत ऐसा नहीं किया। अतः छानबीन करके यह स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों किया गया तथा क्या यह किसी अन्य त्रुटि को लुप्त करने के प्रयोजन से नहीं किया गया।

14) बैंकों में जमा राशि (शाखा "के" मद संख्या 2)

तुलन पत्र में सम्पत्ति पक्ष की ओर हस्तगत एवं बैंकों में जमा राशि बारे पड़ताल करने पर पाया गया कि कुछ बैंकों में दिनांक 31.3.97 को जमा राशि बारे पुष्टि नहीं हो पाई जिस कारण तुलन पत्र में दर्शाई राशि सही प्रतीत नहीं होती। इसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः विभागीय तौर पर जांच पड़ताल करने के उपरान्त वास्तविक स्थिति बताई जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शायी जाये।

विवरण :

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता संख्या	विवरण
1.	स्टेट बैंक आफ पटियाला शिमला	1662/4	शड्यूल "के" मद संख्या :2(ए) के अनुसार दिनांक 31.3.97 को बैंक में 9783.44 रु. की राशि दर्शायी। इस खाते की पास बुक केवल 30.1.95 तक की ही प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 31.1.95 को 16343.95 रुपये का शेष था। अन्तर को स्पष्ट किया जाए।
2.	यूनाईटिड कमर्शियल बैंक, कसुम्पटी	7454	शड्यूल "के" के मद संख्या :2(एफ) अनुसार दिनांक 31.3.97 को बैंक में 5625.22 रु. की राशि दर्शायी गई जबकि प्रस्तुत पास बुक के अनुसार यह शेष दिनांक 29.3.97/31.3.97 को 16215.22 रुपये था। वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए।
3.	यूनाईटिड कमर्शियल बैंक, शिमला	2571	शड्यूल"के" की मद संख्या 2(बी) के अनुसार दिनांक 31.3.97 को शेष शून्य दर्शाया गया था बैंक पास बुक प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण अंतिम शेष की पुष्टि नहीं हो पाई। आगामी लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4.	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक, कसुम्पटी	458	शड्यूल "के" की मद संख्या: 2(जी) के अनुसार दिनांक 31.3.97 को शेष 1259 रुपये दर्शाया गया था जबकि पास बुक अनुसार दिनांक 31.3.97 को शेष 1992/- रु. था। इस प्रकार अन्तर का मिलान किया गया था।

5.	स्टेट बैंक आफ इंडिया, शिमला	सीएच 2/226	शड्यूल "के" की मद संख्या: 2(सी) के अनुसार दिनांक 31.3.97 को शेष 2651.88 रु. दर्शाया गया। पास बुक/स्क्रोल प्रस्तुत नहीं की गई, जिस कारण अंतिम शेष की पुष्टि नहीं हो पाई।
6.	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक, शिमला	12640	शड्यूल "के" की मद संख्या: 2(ई) के अनुसार दिनांक 31.3.97 को शेष शून्य दर्शाया गया। पास बुक प्रस्तुत न होने के कारण अंतिम शेष की पुष्टि नहीं हो पाई।
7.	पंजाब नेशनल बैंक शिमला	40780	शड्यूल "के" की मद संख्या: 2(डी) के अनुसार दिनांक 31.3.97 को शेष 3119.58 रुपये दर्शाया गया। पास बुक/स्क्रोल दिनांक 21.6.96 के बाद की अवधि की प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण अंतिम शेष की पुष्टि नहीं हो सकी।
8.			निर्माण मण्डी I की रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.97 को शेष 1435822.74 रुपये था परन्तु हस्तात एवं बैंक में राशि 1407729.09 रु. थी। जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इस प्रकार 28093.65 रु. का अन्तर है। अन्तर बारे अंकेक्षण के दौरान मौखिक रूप में बताया गया कि यह अन्तर वर्ष 1996-97 से पहले से ही है। अतः बैंक से मिलान करें व उक्त पत्र में सही एवं स्पष्ट स्थिति ही दर्शायें।

509

अंतिम शेष रोकड़बही अनुसार	1435822.74 रु.
विवरण : 1} यू.को बैंक खाता संख्या 1994 में शेष दिनांक 31.3.97	2919.17 रु.
2} पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 47588 शिमला में दिनांक 31.3.97 को शेष।	6174.91 रु.
3} पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 147 कसुम्पटी में दिनांक 31.3.97 को शेष	1363447.00 रु.
4} हस्तगत राशि	35188.01 रु.
	1407729.09
अन्तर	28093.65
	1435822.74 रु.

8} शडयूल की मद संख्या 2}एम} के अन्तर्गत बैंक में दिनांक 31.3.97 को जमा राशि शून्य दर्शाई गई है जबकि शडयूल "के" में कुल जोड़ 8289987.13रु. दर्शाया है जिसमें 2026559 रु. की राशि भी शामिल है। बैंक की पास बुक अथवा [illegible] प्रस्तुत नहीं की गई, जिस कारण जमा राशि बारे कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण दें तथा वास्तविक स्थिति परिलक्षित करें।

15} वेतन अग्रिम यात्रा भत्ता अग्रिम एवं विभिन्न अग्रिम लेखे/शडयूल । मद संख्या 4 बीसीडी

नगर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम दिनांक 31.3.97 को 558233.00रु. शडयूल । मद संख्या 4 बी.सी.डी के अनुसार बनता है तथा तुलन पत्र में लेनदारी के पक्ष में यही राशि शामिल की गई है परन्तु पड़ताल करने पर पाया गया कि यह राशि 569459.91 रुपये बनती है जिसका विवरण परिशिष्ट "च" में दिया गया है। इस प्रकार 11226.91 रु. का अन्तर आता है। अतः तुलन पत्र में

510

सम्मिलित की गई राशि ठीक/सही प्रतीत नहीं होती। जिसे शीघ्र ठीक किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत किया जावे।

पैरा संख्या (5) प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवास, प्लाट आदि व आवंटियों से किश्तों की वसूली आदि के सम्बन्ध में।

---

1) आवंटियों द्वारा नगर विकास प्राधिकरण को अदा की जाने वाली किश्तों की वसूल से आवंटियों द्वारा निर्धारित समय की अपेक्षा देरी से जमा किया जाता है। देरी के समय पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लेना अनिवार्य है। अंकेक्षण के दौरान चयनित मामलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि देरी से किश्तें अदा करने वालों से पूरा ब्याज नहीं वसूली जा रहा जिस कारण प्राधिकरण को ब्याज आय की हानि हो रही है। यह उदाहरण के तौर पर विवरण परिशिष्ट "ङ" में दिया गया है। यह अत्यन्त गम्भीर एवं लापरवाही का विषय है तथा यह तथ्य प्राधिकरण एवं सरकार के ध्यान में लाया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र उचित कार्यवाही की जाए तथा प्रगति बारे इस विभाग को भी अवगत कराऐं।

2) आवंटियों के लेजर अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया कि जिन आवासों आदि का कार्य पूर्ण होने के पश्चात आवंटियों को उनका कब्जा दे दिया गया है उन आवासों आदि के बारे में लेजरों में अन्तिम कीमतें (Tentative Cost) के आधार पर कीमत दी गई। इस सम्बन्ध में यह कहना है कि जिन आवासों आदि का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा कब्जा भी आवंटियों को दे दिया गया है। उनकी अन्तिम कीमत निर्धारित की जाए तथा ऐसा न करने के कारण स्पष्ट किए जाऐं।

511

क्र.सं.	नाम	पंजीयन	स्कीम	अन्तिम कीमत (रु0)	प्राप्त राशि कब्जा देने तक	शेष	विवरण
1.	श्री अर्जुन	9227/ 11027	द्वितीय एल. एफ.एस.	256720	231720	25000	कब्जा दिनांक 1.6.96 को दिया। अन्तिम कीमत पत्र संख्या: एनवीपी (एडमिन) बी) द्वितीय एल. एफ.एस.-एम-II 9227-3046-48 दिनांक 18.5.96 के अनुसार सूचित की गई।
2.	श्री जी.एल. चन्देल	9224/ 11027	-"-	257720	253185	4535	कब्जा दिनांक 24.6.96 को दिया अन्तिम कीमत पत्र संख्या: एनवीपी (एडमिन) बी) द्वितीय एलएफएस-एम-II, 9224-3534-36, दिनांक 1.6.9. के अनुसार सूचित की गई।
3.	श्री राजपाल भेरा	9222/ 11022	-"-	256720	231720	25000	कब्जा दिनांक 1.6.96 को दिया अन्तिम कीमत पत्र सं. एनवीपी (एडमिन) बी द्वितीय एल.एफ.एस-एम-II, 9222-3543-45, दिनांक 1.6.96 के अनुसार सूचित की गई।

3) आबंटियों के लेजर खातों के अवलोकन करने पर पाया कि ऐसे आबंटियों की बड़ी संख्या है जो अपनी किश्तों का भुगतान सुचारु रूप एक लम्बी अवधि से नहीं कर रहे हैं। उदाहरणार्थ ऐसे कुछ आबंटियों का विवरण नीचे दिया गया है। अतः प्राधिकरण इस सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही करें तथा किश्तों की समयानुसार प्राप्ति सुनिश्चित करें।

क्र०सं० नाम	पंजीयन संख्या	किश्त की दर	किश्तों की अवधि जिनकी अदायगी नहीं की गई
		रु०	
1. श्री विनोद कुमार	2011	483	5/96 से 3/97
2. श्री मोहिन्द्र कुमार	2023	483	9/91 से 3/97
3. श्री अनिल पाण्डेय	2036	483	7/90 से 3/97
4. श्रीमति तृप्ता अरोड़ा	2083	483	7/93 से 3/97
5. श्री सुशील कुमार	3578	1265	11/93 से 3/97
6. श्री कंवरराज सिंह	3634	686	6/94 से 3/97
7. श्री गर्जन सिंह	3511	1265	8/93 से 3/97
8. श्री गोविन्द राम	1208	228	10/92 से 3/97
9. श्री महिमा नन्द	1440	228	8/89 से 3/97
10. श्रीमति कुमकुम सबरवाल	4071	1326	5/95 से 3/97
11. श्री अनिल कुमार सूद	4535	2366	5/95 से 3/97
12. श्री कपिल देव शर्मा	6205	3509	4/96 से 3/97

4) आवंटियों द्वारा अपनी जमा कराई अरनेस्ट राशि को वापिस लेने तथा उसमें से जब्त राशि के सन्दर्भ में।

अंकेक्षण के दौरान चयनित मामलों की पड़ताल पर पाया गया कि जिन आवंटियों द्वारा अपना आवंटन अस्वीकृत कर दिया उनके उन द्वारा जमा राशि कराई गई अरनेस्ट राशि का 20% भाग जब्त कर लिया तथा शेष राशि उन्हें वापिस अदा कर दी गई। इस सन्दर्भ में यह पाया गया कि जब्त की गई राशि का पुस्तक समायोजन न करने के कारण जब्त राशि (मेनरी दर्शाई गई जिस कारण रेवन्यू प्राप्ति) प्राधिकरण के रेवन्यू प्राप्ति की सही गणना नहीं की गई है तथा न ही जब्त राशि आय एवं व्यय लेखे में ही दर्शाई गई है। रोकड़ बही में जब्त की राशि को कम करने पर जो राशि देय बनी उसका भुगतान किया गया। सभी सम्बन्धित खातों में उचित सुधार किया जाए तथा

(513)

अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा पर दर्शाई जाए । जब्त राशि को रेवन्यू प्राप्ति के रूप में पुस्तक समायोजन एवं विभिन्न आय/प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत न लेने के कुछ उदाहरण नीचे वर्णित है :

क्रमांक	नाम	पंजीयन संख्या	जब्त राशि (रु•)	विवरण
1•	श्री गिरजा राम	9216	4488•00	यह राशि प्राधिकरण के पत्र संख्या: एचपीएनवीपी/एडमिन(बी) द्वितीय एलएफएस/शाप/9216-5657-59, दिनांक 5•6•96 के अन्तर्गत की गई ।
2•	श्रीमति सुरजीत कौर	9170	21120•00	यह राशि प्राधिकरण के पत्र संख्या: एचपीएनवीपी/एडमिन(बी) द्वितीय एलएफ•एस•शाप/9170-3810-12, दिनांक 10•6•96 के अन्तर्गत की गई ।
3•	डा• प्रभा गुप्ता	10055	16000•00	यह राशि प्राधिकरण के पत्र संख्या: एचपीएनवीपी/एडमिन(बी) एलएफएस/केज/एम-II/10055-2141-44, दिनांक शून्य के अन्तर्गत की गई ।

पैरा संख्या:6 गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वेतन व अन्य भत्तों की कुल राशि मु• 17450•00रु• का अधिक भुगतान करना ।

(क) श्री वेद राम भारद्वाज को अधीक्षक ग्रेड-II से अधीक्षक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति करने के फलस्वरूप इनका वेतन अधिशासी अभियन्ता हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग के ठियोग मण्डल के कार्यालय आदेश संख्या-पी•डब्लू-टीएचडी-ई-15/95-96-7603, दिनांक 22•1•96 द्वारा निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया था :

1)	अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर दिनांक 1•6•95 को मूल वेतन	2625 + 60 ए•पी•
2)	अधीक्षक ग्रेड-II के वेतनमान में एक नोशनल वेतन वृद्धि के बाद वेतन	2700 +60 ए•पी•
3)	अधीक्षक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप मूल नियम 22(ए)(1) के तहत दिनांक 31•10•95 को वेतन का निर्धारण	2775 + 60 ए•पी•

(514)

4) आगामी वेतन वृद्धि की तिथि 1.10.96

लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार (वित्त विभाग) के पत्र संख्या: फिन-सी(बी)7)6/80-5, दिनांक 24.5.96 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस कर्मचारी का वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित होना था :

1)	अधीक्षक ग्रेड-2 के पद पर दिनांक 1.6.95 को मूल वेतन	2625+60 ए.पी.
2)	अधीक्षक ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नति होने के कारण निम्न पद के वेतनमान में एक नोशनल वेतनवृद्धि के बाद मूल वेतन	2700+60 ए.पी.
3)	दिनांक 31.10.95 को अधीक्षक ग्रेड-1 के वेतनमान में वेतन निर्धारण(वेतनमान में आगामी स्तर)	2775.00
4)	आगामी वेतनवृद्धि की तिथि	1.10.96

किन्तु श्री चेत राम भारद्वाज जो हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर थे द्वारा दिनांक 1.10.95 से 3/97 तक निम्न प्रकार से मूल वेतन प्राप्त किया गया 31.10.95 से 30.9.96 तक 2775 +60ए.पी.
1.10.96 से 31.3.97 तक 2850 +60 ए.पी.

जबकि श्री चेतराम भारद्वाज को दिनांक 31.10.95 से 3/97 तक निम्न प्रकार से वेतन देय था

31.10.95 से 30.9.96 तक	2775.00
1.10.96 से 31.3.97 तक	2850.00

अत: श्री भारद्वाज को 31.10.95 से 31.3.97 तक वेतन व अन्य भत्तों की कुल राशि रु. 2540 रु. का अधिक भुगतान किया गया । इस राशि का पूरा ब्यौरा अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट "क से ज" में दर्शाया गया है। अत: इस अधिक अदा की गई राशि की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए ।

ख) श्री कन्हैया राम को चपड़ासी के पद से दफतरी के पद पर पदोन्नत करने के फलस्वरूप इस कर्मचारी का वेतन मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग(ना थ) धर्मशाला के कार्यालय आदेश संख्या: पीडब्लूई/सीएस/सी ई (एन) पीएफ)/96-127 133, दिनांक 19.1.96 द्वारा निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया था :-

515

1.	चपड़ासी के पद पर दिनांक 12.6.95 को वेतन	1055 + 25 ए.पी
2.	मूल नियम 22(ए)(1) के तहत दिनांक 12.6.95 को वेतन	1090+25 ए.पी.
3.	1.1.96 को चपड़ासी के पद के वेतनमान में अर्जित वेतनवृद्धि के जमा करने के बाद वेतन	1125+25 ए.पी.
4.	मूल नियम 22-सी के तहत 1.1.96 को दफ्तरी के पद के वेतनमान में वेतन	1160+25 ए.पी.
5.	आगामी वेतनवृद्धि की तिथि	1.1.97

लेकिन हि.प्र. वित्त विभाग के पत्र संख्या: फिन-सी(बी)(7)-6/80-5, दिनांक 24.5.96 जारी निर्देशों के अनुसार इस कर्मचारी का वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित होना था :

1.	चपड़ासी के पद पर 12.6.95 को वेतन	1055+25 (ए.पी.)
2.	मूल नियम 22(ए)(1) के तहत दिनांक 12.6.95 को वेतन	1090+25 ए.पी.
3.	1.1.96 को चपड़ासी के पद के वेतनमान में अर्जित वेतनवृद्धि के बाद वेतन	1125+25 ए.पी.
4.	मूल नियम 22(1)(ए)(1) के तहत दिनांक 1.1.96 को दफ्तरी के वेतनमान में वेतन निर्धारण (वेतनमान में आगामी स्तर)	1160.00

यह कर्मचारी हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर है। अतः इस कर्मचारी को दिनांक 1.1.96 से 31.12.96 तक निम्न प्रकार मूल वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान किया गया।

1.1.96 से 31.12.96 तक 1160 +25 ए.पी.

जबकि श्री कन्हैया राम, दफ्तरी को उपरोक्त अवधि में मूल वेतन 1160 रु. देय था। इस प्रकार इस कर्मचारी को 1.1.96 से 31.12.96 तक वेतन व तदानुसार अन्य भत्तों की कुल राशि मु. 842 रु. का अधिक भुगतान किया गया। इस राशि का पूरा ब्यौरा अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट "क से ज" में दिया गया है। अतः अधिक अदा की गई इस राशि की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

(516)

ग़) श्री टी.एल. बट्ट को मुख्य प्रारूपकार के पद पर पदोन्नत करने के फलस्वरूप व इन द्वारा दी गई ऑपशन दिनांक 4.12.95 के अनुसार मुख्य अभियन्ता हि.प्र. लोक निर्माण विभाग, शिमला-1 के कार्यालय आदेश संख्या: पी.डब्लू.ई.-पीएफ/1148/95-5730-34, दिनांक 11.1.96 द्वारा निम्न प्रकार से वेतन निर्धारण किया गया

1)	मूल नियम 22(ए)1) के तहत दिनांक 30.11.95 को वेतन का निर्धारण	2340+40 ए.पी.
2)	निम्न पद पर दिनांक 1.1.96 को अर्जित वेतन वृद्धि जमा करने के बाद वेतन	2410+40 ए.पी.
3)	1.1.96 को मूल नियम 22)1)ए)1))22-सी)के तहत वेतन का निर्धारण	2480+40 ए.पी.
4)	वेतन वृद्धि की आगामी तिथि	1.1.97

हि.प्र. सरकार के वित्त विभाग के पत्र, संख्या: फिन-सी)बी) 7)-6/80-5, दिनांक 24.5.96 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस कर्मचारी का वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होना था:-

1)	दिनांक 30.11.95 को प्रारूपकार के वेतनमान 1800-3200 में मूल वेतन	2270+40 ए.पी.
2)	मूल नियम 22)ए)1) के तहत दिनांक 30.11.95 को वेतन	2340+40 ए.पी.
3)	दिनांक 1.1.96 को 1800-3200 के वेतनमान में अर्जित वेतनवृद्धि के जमा के बाद वेतन	2410+40 ए.पी.
4)	मुख्य प्रारूपकार के वेतनमान 2000-3500 में दिनांक 1.1.96 को मूल नियम 22)1)ए)1)22-सी) के तहत वेतन का निर्धारण)2000-3500)) में आगामी तिथि	2480
5)	वेतनवृद्धि की आगामी तिथि	1.1.97

517

श्री टी.एल. बद् जो हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण में प्रति-नियुक्ति पर हैं को 1.1.96 से 31.12.96 तक 2480+40 ए.पी. के दर से वेतन व अन्य भत्तों का लाभ दिया गया जबकि श्री बद् को उपरोक्त अवधि के लिए 2480 रु. मूल वेतन की दर से वेतन व तदानुसार अन्य भत्ते देय थे। अतः इस कर्मचारी को 1.1.96 से 31.12.96 तक वेतन व अन्य भत्तों की कुल राशि मु. 1312 रु. का अधिक भुगतान किया गया}परिशिष्ट क से ज}। इसलिए इस राशि की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

च} श्री पी.डी. कश्यप को अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर पदोन्नत करने के फलस्वरूप इनका वेतन, रजिस्ट्रार हि.प्र. लोक निर्माण विभाग शिमला-1 के कार्यालय आदेश संख्या: पीडब्लूई-62-1-वेतन निर्धारण-94-3013-19 दिनांक 6.10.95 द्वारा निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया था :

1.	निम्न पद के वेतन मान में दिनांक 1.1.95 को वेतन	2340+40 ए.पी.
2.	दिनांक 24.8.95 को ओपशन के अनुसार मूल नियम 22}ए}1} के तहत वेतन	2410+ 40ए.पी.
3.	दिनांक 1.1.96 को निम्न पद के वेतनमान में अर्जित वेतनवृद्धि के जमा के बाद वेतन	2480+40 ए.पी.
4.	दिनांक 1.1.96 को अधीक्षक ग्रेड-2 के वेतनमान 2000-3500 में नियम 22-1}ए}1}22-सी}के तहत वेतन निर्धारण	2550+40 ए.पी.
5.	वेतनवृद्धि की आगामी तिथि	1.1.97

हि.प्र. सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या: फिन}सी}बी}}7}-6/80-5, दिनांक 24.5.96 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार श्री पी.डी. कश्यप का वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित होना था :-

1.	निम्न पद के वेतन मान में दिनांक 1.1.95 को वेतन	2340+40 ए.पी.
2.	दिनांक 24.8.95 को ओपशन के अनुसार मूल नियम 22}ए}1} के तहत वेतन का निर्धारण	2410+40 ए.पी.
3.	दिनांक 1.1.96 को निम्न पद के वेतनमान में अर्जित वेतनवृद्धि के जमा करने पर वेतन	2480+40 ए.पी.

518

4. दिनांक 1.1.96 को अधीक्षक ग्रेड-II के वेतनमान 2000-3500 में मूल नियम 22§1§ §ए§1§ के तहत वेतन निर्धारण । — 2550

5. वेतनवृद्धि की आगामी तिथि — 1.1.97

श्री पी.डी. कश्यप, हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 में प्रतिनियुक्ति पर थे। इस कर्मचारी द्वारा दिनांक 1.1.96 से 31.12.96 तक 2550+40 रु.ए.पी. व 1.1.97 से 3/97 तक 2625+40 रु. ए.पी. की दर से मूल वेतन व तदानुसार अन्य भत्तों को प्राप्त किया गया जबकि श्री पी.डी. कश्यप को 1.1.96 से 31.12.96 तक 2550 रु. व 1.1.97 से 31.3.97 तक 2625 रु. की दर से वेतन व अन्य भत्ते देय थे। इस प्रकार उपरोक्त अवधि के दौरान श्री पी.डी. कश्यप को वेतन व अन्य भत्तों की कुल राशि मु. 1654 रु. का अधिक भुगतान किया गया। इस राशि का पूरा ब्यौरा अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट "क से ज" में दिखाया गया है। अतः इस राशि की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

ड.§ श्री चेतराम स्वैटा, को कानूनगो के पद पर पदोन्नत करने के फलस्वरूप व इनके विकल्प दिनांक 25.5.96 के अनुसार इनका वेतनमान डी.आर.ओ. शिमला के कार्यालय आदेश संख्या:एस.एम.एल.ई.के x1x§26§/81-पीएफ-5370, दिनांक 12.6.96 द्वारा निम्न प्रकार से किया गया।

1. पटवारी के पद पर दिनांक 25.5.96 को वेतनमान — 1650+15 ए.पी.

2. मूल नियम के अनुसार निम्न पद के वेतनमान में एक नोशनल वेतनवृद्धि जमा करने के बाद वेतन निर्धारण — 1700+15 ए.पी

3. मूल नियम 22§1§ए§1§22-सी§के तहत पदोन्नत पद के वेतनमान में वेतन का निर्धारण — 1750+15§ए.पी

4. वेतनवृद्धि की आगामी तिथि — 1.5.97

लेकिन हि.प्र. सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या:फिन §सी§बी§7§-6/80-5, दिनांक 24.5.96 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस कर्मचारी का वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित होना था :

(519)

1. पटवारी के पद पर दिनांक 25.5.96 को वेतनमान — 1650+15 ए.पी.

2. निम्न पद के वेतनमान में एक नोशनल वेतन वृद्धि जमा करने के बाद वेतन — 1700+15 ए.पी.

3. मूल नियम 22(1)(ए)(1) के तहत पदोन्नत पद के वेतनमान में वेतन निर्धारण(वेतनमान में आगामी स्तर) — 1750

4. वेतनवृद्धि की आगामी तिथि — 1.5.97

श्री चेतराम स्नेटा, हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर है। इस कर्मचारी को 25.5.96 से 31.3.97 तक वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान 1750+15 रू. ए.पी. मूल वेतन की दर से किया गया जबकि इस अवधि के लिए श्री स्नेटा को 1750रू. मूल वेतन की दर से वेतन व तदानुसार भत्तों की अदायगी की जानी थी। इस प्रकार दिनांक 25.5.96 से 31.3.97 तक इस कर्मचारी को वेतन व अन्य भत्तों की कुल राशि 444रू. का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि 444 रू. की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त राशि का पूरा ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क से ज" में दिया गया है।

घ) श्री हरी राम को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत करने के फलस्वरूप इनका वेतन अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, मण्डल नं. II, शिमला के कार्यालय आदेश संख्या/एस.डी-II-ई.एस.टी-वेतन निर्धारण-96-13871-75, दिनांक 9.1.97 द्वारा निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया था

1. निम्न पद के वेतनमान 1500-2700 के वेतनमान में दिनांक 30.9.96 को वेतन — 1850+40 ए.पी.

2. वरिष्ठ सहायक के पद का कार्यभार ग्रहण की तिथि — 29.10.96

3. निम्न पद के वेतनमान में एक नोशनल वेतनवृद्धि जमा करने के बाद वेतन — 1900+40 ए.पी.

4. नियम 22(1)(ए)(1)(22-सी) के तहत पदोन्नत पद के वेतनमान में वेतन निर्धारण — 1950+40 ए.पी.

5. आगामी वेतनवृद्धि की तिथि — 1.10.97

520

हि.प्र. सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या: फिन(सी)(बी)(7)-6/80-5, दिनांक 24.5.96 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस कर्मचारी का वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित होना था:-

1.	निम्न पद के वेतनमान में दिनांक 28.10.96 को वेतन	1850+40 ए.पी.
2.	निम्न पद के वेतनमान में एक नोशनल वेतनवृद्धि जमा करने के बाद वेतन	1900+40 ए.पी.
3.	मूल नियम 22(1)(ए)(1)(22-सी) के तहत पदोन्नत पद के वेतनमान में वेतन निर्धारण।	1950
4.	आगामी वेतनवृद्धि की तारीख	1.10.97

श्री हरी राम, हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण शिमला-9 में प्रतिनियुक्ति पर है। इस कर्मचारी को दिनांक 29.10.96 से 31.3.97 तक के वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान मूल वेतन 1950+40 ए.पी. की दर से किया गया जबकि उपरोक्त अवधि के लिए इन्हें 1950 रु. मूल वेतन की दर से वेतन व अन्य भत्ते देय थे। इस कर्मचारी को दिनांक 29.10.96 से 31.3.97 तक वेतन व अन्य भत्तों की कुल राशि 591 रु. का अधिक भुगतान किया गया जिसका पूर्ण विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है। अतः उपरोक्त राशि की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) श्रीमति विमला कौंडल को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति करने के फलस्वरूप इनका वेतन अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण मण्डल(मैडीकल) शिमला-3 के कार्यालय आदेश संख्या पी.डब्लूई-एम.सी.डी-ई-3/96-1331-35, दिनांक 1.6.96 द्वारा निम्न प्रकार किया गया:

1.	निम्न पद के वेतनमान में वेतन(4.4.96)	1750+40 ए.पी.
2.	निम्न पद के वेतनमान में एक वेतनवृद्धि जमा करने के बाद वेतन नियम 22(ए)(1)	1800+40 ए.पी.
3.	बोपरान के अनुसार निम्न वेतनमान में वेतनवृद्धि अर्जित करने के बाद वेतन(1.10.96)	1850+40 ए.पी.
4.	नियम 22(1)(ए)(1) के अनुसार पदोन्नति पद के वेतनमान में वेतन निर्धारण	1900+40 ए.पी.

5 8

लेकिन हि.प्र. सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या: फिन(सी)बी(7)-6/80-5, दिनांक 24.5.96 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार श्रीमति विमला कौंडल, का पदोन्नति पर वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित होना था:

1.	4.4.96 को निम्न पद के वेतनमान में वेतन	1750+40 ए.पी.
2.	4.4.96 को मूल नियम 22(ए)(1) के अनुसार निम्न पद के वेतनमान में एक वेतन वृद्धि जमा करने के बाद वेतन	1800+40 ए.पी.
3.	1.10.96 को निम्न पद के वेतनमान में अर्जित एक वेतनवृद्धि के जमा करने के बाद वेतन	1850+40 ए.पी.
4.	मूल नियम 22(1)(ए)(1) के तहत पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण	1900

इस प्रकार श्रीमति विमला कौंडल को दिनांक 1.10.96 से 3/97 तक 1900+40 ए.पी. मूल वेतन की दर से वेतन व तदानुसार भत्तों की अदायगी की गई जबकि इस अवधि के लिए इनको 1900 रु. मूल वेतन की दर से वेतन व तदानुसार ही अन्य भत्ते देय थे। अतः इस कर्मचारी को 1.10.96 से 31.3.97(अंकेक्षण अवधि) तक मूल वेतन व अन्य भत्तों की कुल राशि 696 रु. का अधिक भुगतान किया गया था इस राशि का पूरा ब्यौरा अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क से ज" में दिया गया है। अतः अधिक अदा की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

ज) श्री रविभूषण शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता का वेतन अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल सोलन के कार्यालय पत्र संख्या: एन.एच.डी/ई - फिक्सेशन/96-7472-79, दिनांक 29.1.97 द्वारा पुनः निर्धारित किया गया। पुनः निर्धारित वेतन निम्न प्रकार से था :

1.6.94 को	2000+20 ए.पी.
1.6.95	2060+20 ए.पी.
1.6.96	2130+20 ए.पी.

जबकि इस कर्मचारी को दिनांक 12.12.94 से 2/97 तक निम्न प्रकार से मूल वेतन व तदानुसार अन्य भत्तों का भुगतान किया गया :

522

12.12.94	2130.00रु.
1.6.95	2200.00 रु.
1.6.96 से 2/97 तक	2270.00 रु.

इस प्रकार श्री शर्मा को दिनांक 12.12.94 से 28.2.97 की अवधि के लिए मूल वेतन व अन्य भत्तों की कुल राशि 9371 रु. का अधिक भुगतान किया गया। इस राशि का पूरा ब्यौरा अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट "क से ज" में दिखाया गया है। अतः इस राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

पेरा संख्या 7

प्रतिनियुक्ति भत्ते के भुगतान के साथ 2 विशेष वेतन की राशि मु. 9088रु. का अनुचित भुगतान करना।

हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात निम्न कर्मचारियों/अधिकारियों को अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति भत्ते की अदायगी के साथ 2 विशेष वेतन का भुगतान भी किया गया। मूल नियमों में प्रतिनियुक्ति भत्ते को विशेष वेतन माना गया है तथा हि.प्र. सरकार के कार्मिक विभाग के पत्रसंख्या:पर(एपी-II)बी(8) 1/83, दिनांक के अनुसार किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को एक पद पर दो विशेष वेतनों की अदायगी नहीं की जा सकती। अतः निम्न कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ते के साथ 2 विशेष वेतन का भुगतान उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुसार अदेय था। अतः कुल अदेय राशि 9088 रु. की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम/पद	मूल वेतन	प्रतिनियुक्ति भत्ता	विशेष वेतन	अवधि	विशेष वेतन की अदेय राशि
1.	श्री आर.के.नैयर	5300	250	400	3/96से4/96	800
	अधीक्षण अभियन्ता	5450	250	400	5/96से2/97	4000
2.	श्री रौशन लाल स्टेनोग्राफर	2390	120	40	3/96से23.10.96	310
3.	श्री प्रेम राज	1650	83	45	3/96से6/96	180
	स्टेनोग्राफर	1700	85	45	7/96 से 2/96	360

4. श्री किशन सिंह कानूनगो	1780	89	50	3/96से5/96	150
5. श्री सी.आर.रमोटा कानूनगो	1615	162	50	3/96 से 4/96	100
	1665	167	50	5/96	50
	1765	177	50	6/96से2/97	450 — Settled
6. श्री तारा चन्द टान्टा, पटवारी	1365	137	50	3/96 से1/97	500 Settled
	1410	141	50	2/97	50
7. श्री भरत सिंह पटवारी	1980	99	50	3/96से5/96	150
8. श्री कन्हैया राम दफ्तरी	1185	119	40	3/96से 1/97	440
	1200	120	40	2/97	40
9. श्री एन.डी.कश्यप	2310	116	40	3/96	40
	2380	119	40	4/96से27.9.96	236
10. श्री कृष्ण लाल पटवारी	1280	128	50	12.7.96से1/97	332 Settled
11. श्रीलोकेन्द्र सिंह पटवारी	1455	73	50	9/96से2/97	300
12. श्री योगराज शर्मा स्टैनोग्राफर	2390	123	40	2.12.96 से2/97	119
13. श्री मदन मोहन शर्मा	2380	104	150	5.12.96से31.12.96	131 Settled
	2450	123	150	1/97से 2/97	300
					9088.00

पैरा सं:8 प्रतिनियुक्ति भत्ते की राशि 6278 रु. का अनियमित भुगतान करना

निम्न मामलों में प्रतिनियुक्ति भत्ते की राशि 6278 रु. का अनियमित भुगतान किया गया। नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को देय प्रतिनियुक्ति भत्ते की राशि + मूल वेतन का योग

524

प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान से अधिक नहीं होता है। इन मामलों में अधिकारियों को दिया गया प्रतिनियुक्ति भत्ता + मूल वेतन, प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान से अधिक था इस प्रकार प्रतिनियुक्ति भत्ते की राशि 6278 रू. का अनियमित भुगतान किया गया।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	प्रतिनियुक्ति पद का वेतनमान	मूल वेतन रू.	प्रतिनियुक्ति भत्ता देय	दत्त	अन्तर	अवधि	राशि
1.	श्री एम.के.मल्होत्रा	3000-4500	4375	125	219	94	3/96से2/97	1128
2.	श्री एस.एस.गौतम	2200-4000	4000	-	200	200	3/96से12/96	2000
			4125	-	206	206	1/97से2/97	412
3.	श्री पी.एन.नेहरू	2200-4000	3700	300	370	70	3/96से7/96	350
			3800	200	380	180	8/96से2/97	1260
4.	श्री एम.एस.चौहान	3000-4500	4375	125	219	94	3/96से2/97	1128
							योग:	6278

अतः इस राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा सं:9

हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 में लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के वेतन व भत्तों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारी लोक निर्माण विभाग में निम्न पदों पर कार्यरत थे, इन कर्मचारियों को पदोन्नत करने के तुरन्त बाद नगर विकास प्राधिकरण में उच्च पदों पर तैनात किया गया। प्रतिनियुक्ति पद का ग्रहण करने के बाद इन कर्मचारियों का वेतन लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में निर्धारित किया गया। इन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में 22-1(ए)(1) के लाभ के साथ 2 प्रतिनियुक्ति भत्ते का भी भुगतान किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी अन्तिम वेतन प्रमाण पत्रों का अवलोकन करने पर स्वतः ही पता चलता था कि इन कर्मचारियों द्वारा लोक निर्माण विभाग में निम्न पदों पर ही वेतन आहरण किया गया था। उदाहरण के लिए प्रतिनियुक्ति पद (वरिष्ठ सहायक) के लिए भेजे गए कर्मचारी द्वारा

525

लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद के वेतनमान में वेतन आहरण किया गया था।

इस प्रकार के मामलों में कर्मचारियों को दोहरे लाभ अर्थात उच्च वेतनमान व प्रतिनियुक्ति भत्ते के कारण 5321.35 रु. का अनियमित भुगतान किया गया। जिसकी शीघ्र वसूली की जाए व भविष्य में इस प्रकार की अदायगियों से परिहार किया जाए।

ख़ श्रीमति विमला कौशल, को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत करने के बाद अधिशाषी अभियन्ता आयुर्विज्ञान मण्डल शिमला के कार्यालय पत्र पी.डब्लू. ई.-एमसीडी-ई-4/96-14-19, दिनांक 3.4.96 द्वारा हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण शिमला-9 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया। इस कर्मचारी को कनिष्ठ सहायक के पद से दिनांक 3.4.96 को भारमुक्त किया गया तथा दिनांक 4.4.96 को हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करने के फलस्वरूप इस कर्मचारी का वेतन अधिशाषी अभियन्ता आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मण्डल के पत्र सं.पीडब्लू.ई/एमसीडी-ई/3-196 1331-35, दिनांक 1.6.96 द्वारा निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया

3.4.96 को निम्न पद के वेतनमान 1500-2600 में वेतन..	1750+40 ए.पी.
4.4.96 को वरिष्ठ पद पर वेतन नियम 22§1§ए§	1800+40 ए.पी.
1.10.96 को निम्न पद पर अर्जित वेतन वृद्धि के बाद वेतन	1850+40 ए.पी.
1.10.96 को वरिष्ठ सहायक के वेतनमान में वेतन निर्धारण	1900+40 ए.पी.

4.4.96 से 31.3.97 तक इस कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति के 22§1§ए§1§ के लाभ के साथ 2 5% की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता भी दिया गया, जबकि कर्मचारी द्वारा पैतृक विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर ही वेतन आहरण किया जा रहा था।

526

नियमानुसार कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर दोनों लाभ उपलब्ध नहीं होते नियमानुसार कर्मचारी को या तो प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में वेतन निर्धारण करवाना होता है या फिर पैतृक विभाग के पद पर आहरित वेतन + प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होता है। अतः इस कर्मचारी द्वारा दिनांक 4.4.96 से 31.3.97 तक दोनों लाभों को प्राप्त किया गया जो कि अनियमित था। इस प्रकार 4.4.96 से 31.3.97 तक भुगतान किए गए प्रतिनियुक्ति भत्ते की राशि 1124.80 रु. की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए। जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :-

अवधि	मूल वेतन	प्रतिनियुक्ति भत्ता	माह	राशि
4.4.96से30.9.96	1840	92	5 27/30	542.80
1.10.96से31.3.97	1940	97	6	582.00
				1124.80रु.

(ज) श्री सतीश चन्द्र नेगी को प्रारूपकार के पद पर पदोन्नत करने के बाद अधिशासी अभियन्ता हि.प्र. लोक निर्माण विभाग के वृत्तम मण्डल के पत्र संख्या:के.सी.एम/बीएण्डआर-ई.ए-ई-4/94-95-9493-99, दिनांक 20.1.96 द्वारा हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण, शिमला-9 में प्रारूपकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया। इस कर्मचारी का वेतन प्रतिनियुक्ति पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि 23.1.96 से उपरोक्त मण्डल द्वारा उनके उपरोक्त संख्यक पत्र, दिनांक 30.3.96 द्वारा निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया :-

22.1.96 को कनिष्ठ प्रारूपकार के वेतनमान में 1200-2130रु. में वेतन	1600 रु.
23.1.96 को प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान 1800-3200 में वेतन निर्धारण नियम 22(1)(ए)(1)	1800 रु.

इस कर्मचारी को दिनांक 23.1.96 से 31.3.97 तक प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में नियम 22(1)(ए)(1) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन के साथ 2 10% प्रतिनियुक्ति भत्ते की राशि का भी भुगतान किया गया जो कि अनियमित था क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर दोनों लाभ नियमानुसार देय नहीं। अतः प्रतिनियुक्ति भत्ते की अधिक अदा की गई राशि 2572 रु. जिसका विवरण निम्न प्रकार से था की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए:

अवधि	मूलवेतन	प्रतिनियुक्ति भत्ता	माह	राशि
23.1.96 से 31.3.97	1800	180	14 9/31	2572.00 रु.
				2572/- रु

ग) श्री हरी राम को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत करने के बाद अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग शिमला मण्डल नं.II के कार्यालय आदेश संख्या: एसडी-II-ईएसटी-5/96-8657-63, दिनांक 28.10.96 द्वारा नगर विकास प्राधिकरण शिमला-9 में वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया। इस कर्मचारी का वेतन प्रतिनियुक्ति पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि 29.10.96(एफएन) से उपरोक्त मण्डल के पत्र संख्या: एसडी-II/इ.एसटी-वेतन निर्धारण/96-13871-75, दिनांक 9.1.97 द्वारा निम्न प्रकार से किया गया:

दिनांक 28.10.96 को कनिष्ठ सहायक के पद के वेतनमान 1500-2700 में वेतन	1850+40 ए.पी.
29.10.96 को प्रतिनियुक्ति पद के (वरिष्ठ सहायक) के पद के वेतनमान में नियम 22(1)(ए)(1) के अनुसार वेतन का निर्धारण	1950+40ए.पी.

इस कर्मचारी को 29.10.96 से 31.3.97 तक प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में नियम 22(1)(ए)(1) के अनुसार निर्धारित वेतन के साथ 2 5% प्रतिनियुक्ति भत्ते की राशि का भी भुगतान किया गया जो कि अनियमित था। क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर दोनों लाभ एक साथ देय नहीं होते थे। अतः प्रतिनियुक्ति भत्ते के कारण अधिक भुगतान की राशि 509.70 रु. की वसूली जिसका विवरण निम्न प्रकार से था, करना सुनिश्चित किया जाए:

अवधि	मूल वेतन	प्रतिनियुक्ति भत्ता	माह	राशि (रु.)
29.10.96 से 31.3.97	1950+140	100.00	5 3/31	509.70
				509.70 रु.

घ) श्री सुनील कुमार को प्रारूपकार के पद पर पदोन्नत करने के बाद रजिस्ट्रार, मुख्य अभियन्ता, (उत्तर) हि.प्र. लोक निर्माण विभाग, धर्मशाला के कार्यालय पत्र संख्या:पी.डब्लू.ई-ई.एस-1/ई-2 पी.एण्डटी/96-2981-87 दिनांक 19.3.96 द्वारा हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण शिमला-9 में प्रारूपकार के पद पर तैनात किया गया था। इस कर्मचारी का वेतन प्रतिनियुक्ति पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि 20.3.96 को रजिस्ट्रार, मुख्य अभियन्ता हि.प्र. लोक निर्माण विभाग(उत्तर), धर्मशाला के कार्यालय पत्र संख्या: पी.डब्लू.ई./सी.ई.(एन)पीएफ-97-3042-45, दिनांक 18.5.96 द्वारा निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया :

19.3.96 को कनिष्ठ प्रारूपकार के वेतनमान 1200-2130 में वेतन	1600 रु.
20.3.96 को प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान 1800-3200 में वेतन का निर्धारण (नियम 22(1)(ए)1)	1800 रु.

इस कर्मचारी को 20.3.96 से 31.3.97 तक प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में नियम 22(1)(ए)1) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन के साथ 5% की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता का भी भुगतान किया गया जो कि अनियमित था क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर दोनों लाभ नियमानुसार देय नहीं थे अतः प्रतिनियुक्ति भत्ते की भुगतान की गई राशि 1114.85 रु. जिसका विवरण निम्न प्रकार से था की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए :

अवधि	मूल वेतन	प्रतिनियुक्ति भत्ता	माह	राशि
20.3.96	1800	90.00	12 12/31	1114.85
				1114.85

अतः उपरोक्त मामलों में वर्णित प्रतिनियुक्ति भत्ते की अनियमित भुगतान की कुल राशि 5321.35 रु. की वसूली करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार के अन्य सभी मामलों की छानबीन विभाग अपने स्तर पर करके के बाद प्रतिनियुक्ति भत्ते की भुगतान की गई अनियमित राशि की वसूली करना भी सुनिश्चित करें।

पैरा संख्या: 10 दूरभाष भत्ते की राशि मु. 1200 रु. का अनियमित भुगतान करना।

श्री एस.एम. चौहान (विधि अधिकारी) जोकि हि.प्र. नगर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे के वेतन व अन्य भत्तों की अदायगी का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इस अधिकारी को अंकेक्षण अवधि के दौरान 1200 रु. दूरभाष भत्ते के कारण अदा किए गए हि.प्र. सरकार द्वारा किसी भी विभाग में दूरभाष भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता न ही वेतन मानों में इस प्रकार के किसी भत्ते के भुगतान की स्वीकृति हि.प्र. सरकार द्वारा जारी की गई थी। अतः इस भत्ते के भुगतान का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा 1200 रु. की वसूली करने के बाद इस अधिकारी को सरकार द्वारा प्राधिकृत भत्तों का ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए और किसी प्रकार प्राधिकरण इस भत्ते की अदायगी जरूरी समझता है तो भुगतान से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए अन्यथा इस भत्ते का भुगतान तुरन्त बन्द कर दिया जाए।

पैरा संख्या: 11 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे

1) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में अधिक किया गया भुगतान रु. 5131

नगर विकास प्राधिकरण के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का अंकेक्षण (केवल चयनित मास) करते समय पाया गया कि विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में Non-rebursable दवाईयों का भी भुगतान किया गया था जिसे नियमानुसार नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार की दवाईयों का पूर्ण विवरण सहित ब्यौरा परिशिष्ट "ब" में दिया गया है। इस परिशिष्ट में दर्शाई गई राशि

530

रू॰ 5131 मात्र की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से शीघ्र करने के उपरान्त यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस प्रकार के अनुचित भुगतान न होने पायें। चयनित मामलों के अतिरिक्त मामलों की विभागीय स्तर पर पुनः जांच की जाए व प्राधिकरण यह प्रमाणित करें कि अन्य मामलों में इस प्रकार की कोई अधिक अदायगी नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र सूचित करें।

2} वाउचर नम्बर 86/14-6-96

श्री रविन्द्र नाथ गर्ग, वरिष्ठ सहायक जिला चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा जोकि उन्होंने इण्डस अस्पताल में Indoor Patient के रूप में प्रस्तुत किया था, ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

{ए} इनवाइस नं॰ 420/ दिनांक 1.6.96

	राशि
1. रूम रेन्ट अवधि 30 व 31.5.96 के लिए रू॰ 200 प्रतिदिन	400
2. एक्स-रे रू॰ 90 प्रति एक्स रे x2	180
3. लैबोरेट्री जॉच	70
4. कन्सलटेशन जॉच	200
5. विभिन्न जॉच	240.50
कुल :	1090.50

अर्थात : 1091 रू॰

{बी} इनवाइस नं॰ दिनांक

1. 11358/30.5.96	इण्डस अस्पताल, शिमला-6	बीटी सैट	22.75
		IV Canule	60.00
			82.75
2. 10235/30.5.96	इण्डस अस्पताल शिमला-6	एक्स रे फिल्मज 2x90	180.00
3. 34420/30.5.96	--"--	ईसीजी चार्जिज	370.00
		एक्स रे प्रोड्यूसर	90.00
			460.00

5.31

4. 18298/1.6.96 इण्डस अस्पताल शिमला-5 Tab. Vit.-C 68.40

5. 34409/30.5.96 --"-- रजिस्ट्रेशन फीस 10.00

801.15

अर्थात : 801 रु.

(ए-1) उपरोक्त तालिका (ए) में दर्शाए गए 1091 रु. को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित दरों जो कि इन्दिरा गांधी अस्पताल शिमला-1 के समान निश्चित की गई है, के अनुसार देय राशि निर्धारित करने के उपरान्त शेष राशि को वसूल कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

(बी-1) 801 रु. की उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है को सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर राशि को नगर विकास प्राधिकरण के खाते में जमा करवा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरा अवगत करवाया जाए।

(III) नगर विकास प्राधिकरण के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के लेखा परीक्षण के दौरान मालूम किया गया कि प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनके उपरोक्त दावों की साफ-2 तथा पढ़े जाने वाले खड़े अक्षरों में नहीं भरा जाता और न ही नियमानुसार पूर्णरूप से भरकर प्रस्तुत किया जाता है विशेषकर दवाईयां भरते समय दवाईयों के नाम पूर्णरूप से साफ-2 न भरकर अपूर्ण एवं Overwriting तथा Cutting सहित भरा जाता है तथा किसी भी प्रकार का डायरी नम्बर तथा तारीख भी रिकार्ड नहीं की जाती है, जिससे की कालातीत होने की अवधि का ध्यान रखा जा सके, किसी भी प्रकार से नियमों के अनुसार मेडिकल रिइम्बर्समेन्ट कन्ट्रोल रजिस्टर ही रखा गया है तथा बिलों को प्रस्तुत की गई राशि के अनुसार ही सामान्यत: पारित कर दिया जाता है जो कि नियमों के विपरीत है तथा पब्लिक फण्डस का दुरुपयोग भी है। अत: प्राधिकरण के अधिकारियों को सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में वर्णित खामियों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके नियमानुसार मेडिकल रिइम्बर्समेंट रजिस्टर तैयार करवा कर ही चिकित्सा

प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान किया जाए ताकि आगामी लेखा के दौरान इस प्रकार की खामियों की पुनरावृत्ति न होने पाये ।

पैरा संख्या: 12

1) वाउचर संख्या:173/24.6.96 रूपये 12502.00

श्री आई.सी. गोयल, मुख्य अभियन्ता द्वारा अवधि 22.5.96 से 30.5.96 को आई.आर.सी. की मीटिंग हेतु शिमला से चण्डीगढ़, दिल्ली, बागडोगरा, सिलीगुड़ी से दारजिलिंग तथा इसी रास्ते से वापिस शिमला के लिए यात्रा की गई थी। उपरोक्त अवधि में की गई यात्रा के लिए मुख्य अभियन्ता द्वारा जो यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत किया गया वह न ही नियमानुसार भरा गया था न ही उसे सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित, प्रतिहस्ताक्षरित तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पारित किया गया था तथा न ही यात्रा भत्ता दावे के साथ आवश्यक Supporting documents को लगाया गया था न ही अनन्तिम अथवा वास्तविक यात्रा कार्यक्रम जिसे सक्षम/कन्ट्रोलिंग अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो, की प्रति संलग्न की गई थी वास्तव में इस प्रकार का कोई भी अनुमोदन प्राप्त ही नहीं किया गया था । उक्त यात्रा भत्ता दावे को ज्यों का त्यों ही पारित करके भुगतान कर दिया गया । इस प्रकार कि 12502 रू. के भुगतान दावे में 2672रू. की राशि का अधिक भुगतान कर दिया गया क्योंकि नीचे दी गई गणनाओं के अनुसार उपरोक्त अधिकारी को अधिकतम 9830 रू. का भुगतान किया जा सकता था, जिसकी गणना का पूर्ण ब्यौरा संलग्न यात्रा भत्ता दावे की प्रतिलिपि में दिया गया है। इस प्रकार 2672रू. की राशि जो की अधिक भुगतान कर दी गई थी को सम्बन्धित अधिकारी से वसूल कर अविलम्ब प्राधिकरण के खाते में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के उचित उपाये किए जायें। यह भी स्पष्ट किया जाए कि उक्त बैठक में भाग लेने के कारण प्राधिकरण को क्या लाभ पहुंचा है ।

533

गणनायें :		राशि
22.5.96	1. दैनिक भत्ता रू. 50 प्रतिदिन	50.00
	किराया	120.00
	लोकल कन्वेन्स	75.00
23.5.96	लोकल कन्वेन्स	75.00
	1. दैनिक भत्ता रू.75 प्रतिदिन	75.00
24.5.96	एयरपोर्ट तक जाने के लिए	100.00
	हवाई किराया	4273.00
	टैक्सी भाड़ा एयरपोर्ट से सिलीगुढ़ी तक	100.00
	1 दैनिक भत्ता	
	70% रू. 75 प्रतिदिन	52.50
	30% रू. 60 प्रतिदिन	18.00
25व26.5.96	दैनिक भत्ता रू. 60x2दिन	120.00
27.5.96	आकस्मिक अवकाश	—
28.5.96	1 दैनिक भत्ता रू. 60x1	60.00
29.5.96	हवाई किराया	4273.00
	एयरपोर्ट से रहने के स्थान तक किराया	100.00
	दैनिक भत्ता	
	70% रू. 75 प्रतिदिन	52.50
	30% रू. 60 प्रतिदिन	18.00
30.5.96	लोकल कन्वेन्स रहने के स्थान से रेलवे स्टेशन तक	75.00
	रेल का किराया	125.00
	[संलग्न टिकट के अनुसार दिल्ली से चण्डीगढ़ तक]	
	दैनिक भत्ता	
	70% रू. 75 प्रतिदिन	52.50
	30% रू. 50 प्रतिदिन	18.00
	चण्डीगढ़ से शिमला तक का सफर कार्यालय की कार द्वारा तय किया गया। अतः कोई किराया नहीं	—
	कुल योग :	9829.50

अर्थात 9830/- रुपये

Tour diary of Mr.I.C.Goel, Chief Engineer, for the month of May, 1996.

Date.	From	To	Mode of conveyance.	Purpose.
22.5.96	Shimla.	Chandigarh.	By Govt.car.	
	Chandigarh.	Delhi.	By delux bus.	
23.5.96	Halt at Delhi.			For attending Council meeting of the IRC. and back to H.Qs.
24.5.96	Delhi.	Bagdogra.	By Air.	
	Bagdogra.	Siliguiri.	By taxi.	ticket not okay due to lengthy wait list
24.5.96 to 26.5.96 stay at Darjeeling.				
27.5.96	Availed Casual leave.			
28.5.96	Darjeeling.	Siliguiri to Bagdogra. & back to Siliguri	By taxi.	Flight cancelled.
29.5.96	Bagdogra.	Delhi.	By air.	
30.5.96	Delhi.	Chandigarh.	By train.	Back to HQ.
	Chandigarh.	Shimla.	By car.	

(I.C.Goel)
Chief Engineer,

- 42 . 535

~~67~~ 18.

शिमला विकास प्राधिकरण

(यात्रा भत्ता अभियाचन फार्म)

नाम— Sh. I.C. Goel पद— Chief Engineer वेतन— 7800/- (महगाई वेतन सहित) मुख्य कार्यालय— [illegible]

यात्रा उद्देश्य	प्रस्थान स्थान	प्रस्थान दिनांक	प्रस्थान घण्टे	आगमन स्थान	आगमन दिनांक	आगमन घण्टे	वास्तविक किराया भुगतान रेल/सड़क	वर्ग	राशी	मील देय	राशी	प्रासंगिक प्रभार दर	राशी	दैनिक भत्ता दर	राशी	कुल
	Shimla	22/5/96	8.30 AM	Chandigarh	22/5	1.00 PM	By Car		—	30/-	50/-	15/-	67-50		~~67-50~~ 167-50	187-50
	Chandigarh	22/5/96	1.30 PM	Delhi	22/5/96	6.00 PM	Delux bus		120-00	70/-	75/-	52/50				
	Conveyance charges from bus-stand to place of stay									75/-		~~D.A. @ Rs 75/-~~		—	—	75-00
	23/5/96 Place of stay to Air port at Delhi								Rs. 100/-	[illegible]		Rs. 200/-			—	[illegible]
	24/5/96 Place of stay to Air port						Rs. 100/-					D.A. @ Rs 75/-			—	100-00
	Delhi	24/5	8.00 AM	Bagdogra	24/5	10.00 AM	By Air		4273/-			~~D.A. @ Rs 75/-~~		—	—	
	Bagdogra Air port to	24/5		Siliguri			By taxi		100/-	70/-	75/-	52/50				
	Siliguri	24/5	10.15 AM	Darjeeling	24/5	1.30 PM	By taxi (WB-76-0477)		700/-	30/-	60/-	18/-	70-50	—	—	5113-50
	24/5/96 to 26/5/96 stay at Darjeeling Hotel charges for 3 days									Rs. 500/- (IRC Tariff)		x3 = 1500/-		D.A. 3 @ 60/-	180/-	1080-00
	27/5/96			Casual leave			(No claim)									
	Darjeeling	28/5	7.30 AM	Siliguri	28/5	10.30 AM	By taxi (WB-76-0477)		700/-	D.A.	@ 60/-					860-00
	Siliguri to Bagdogra air port								100/-							
	Bagdogra	29/5	2.30 PM	Delhi	29/5	4.30 PM	By Air		4273/-	30/-	60/-	18/-	70-50			4443-50
	30/5/96 Place of stay to Air port to place of stay								100/-	70/-	75/-	52/50				337-50
	Delhi	30/5	7.30 AM	Chd.	30/5	1.30 PM	By train		75/-							352-50
	Chd.	30/5		Shimla			[illegible]		270/-	70/-	75/-	52/50 15/-	67-50			

(X) Tickets could not be confirmed due to lengthy waiting.

1. अभियाचन भुगतान के लिए प्रस्तुत ।
2. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विराम के समय, मैं अजित अवकाश पर नही था, और मैं रविवार तथा अन्य छुट्टी वाले दिन भी केवल केप में ही था । जिसके लिये कि दैनिक भत्ता अभियाचित है ।
3. मैंने उसी वर्ग मे यात्रा की है जिसका अभियाचन किया है तथा वही किराया अभियाचित किया जा रहा है जो मैंने वास्तव में अदा किया ।
4. वापसी टिकट जहा तक उपलब्ध था ।
5. निशुल्क परिवहन उपलब्ध न था ।
6. उपरोक्त राशी इस से पहले अभियाचित नही की गई ।

अभियाचक के हस्ताक्षर

दिनांक..............................

जाचा गया

लेखाकार

लेखाधिकारी

यात्रा प्राधिकरण के हिसाब स्वीकृत की गई । 12,502/-

रु०... 12,502/-

(शब्दों में) Twelve Thousand & five hundred two only

भुगतान हेतु समर्पित Rs 12502/- Passed for Rupees Twelve Thousand five hundred two only

Chief Administrator
H.P. Nagar Vikas Pradhikaran
Kasumpti, Shimla-171009

536

(ii) वाउचर संख्या 91/15.6.96 of 324 रु.

उपरोक्त वाउचर द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु की गई यात्रा के लिए निदेशक स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त उपचार हेतु स्वीकृति के उपरांत पी.जी.आई. चण्डीगढ़ के लिए एक सहायक (Attendent) सहित यात्रा प्राधिकरण कार्यालय से की गई तथा डीलक्स बस के किराए का भुगतान सहायक सहित किया गया जबकि उपरोक्त यात्रा हेतु साधारण किराया ही देय बनता है। अतः रु. 42 प्रति टिकट के हिसाब से दो व्यक्तियों के आने जाने का किराया अर्थात 42x2x2=168 रु. देय बनता है, जबकि रु. 324/-का भुगतान किया गया था। अतः 324-168=156 रु. की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाए तथा इसे प्राधिकरण के खाते में जमा करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह किराया प्राधिकरण के कार्यालय से भुगतान किया गया है जबकि यह उपचाराधीन कर्मचारी के निवास स्थान से पी.जी.आई. तथा इसी प्रकार निवास स्थान की वापसी के लिए सहायक (Attendent) सहित देय बनता है। अतः कर्मचारी के निवास स्थान से पी.जी. आई. तथा वापिसी का देय किराया निकाल कर अन्तर राशि को सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल किया जाए अथवा भुगतान किया जाए तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को सूचित किया जाए।

(iii) वाउचर संख्या 154/21.6.96 2873 रु.

यात्रा भत्ता समायोजन दावा जोकि श्री एस, एस.चौहान विधि अधिकारी द्वारा अवधि 27.3.96 से 1.4.96, 7.4.96 से 10.4.96 तथा 17.4.96 से 18.4.96 तक के लिए दिल्ली, दिल्ली व चण्डीगढ़ तथा इन्हीं स्थानों से वापिसी शिमला के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस समायोजन दावे में जो देय राशि बनती है वह निम्न प्रकार से है :-

राशि जो मांगी गई (लेखा शाखा द्वारा पारित)	रू॰ 2873	राशि जो देय बनती है	2712रू॰
अग्रिम समायोजित	2800	अग्रिम समायोजित	2800रू॰
देय राशि	73रू॰	वसूली योग्य राशि	88रू॰

कुल राशि जो अधिकारी से वसूली योग्य बनती है= 73+88= 161 रू॰

इस प्रकार 161 रू॰ की राशि जो कि वसूली योग्य है को सम्बन्धित अधिकारी से वसूल कर प्राधिकरण के खाते में जमा करवा कर अनुपालना से अवगत करवाया जाए। देय राशि की गणना निम्न प्रकार से है :

<u>गणनाऐं</u> :

दिल्ली तक का किराया	210
दैनिक भत्ता 75 X	
@ 39.75 x4	159
53x1	53
35 x .70	24.50
होटल का खर्चा 4 दिन 150रू॰ प्रतिदिन	600.00
किराया	210.00
टी.टी.सी/लोकल कन्वेन्स	200.00 300.00
दिल्ली तक का किराया	210.00
दैनिक भत्ता	
53x2	106.00
35 x 1.70	59.50
टी.टी.सी/लोकल कन्वेन्स	200.00 100.00
किराया	210.00
दैनिक भत्ता 35 x 2	70.00
कुल योग :	2712.00

इसके अतिरिक्त भविष्य में किसी भी दावे को भुगतान अथवा समायोजित करते समय औपचारिकताओं को पूर्ण करने/करवाने हेतु उपाये सुनिश्चित किए जाए।

यात्रा भत्ता दावों को पूर्ण रूप से साफ-2 नहीं भरा जाता है न ही उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर नियन्त्रण अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाता है तथा कई मामलों में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है। कई मामलों में आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा ही बिलों को पारित कर दिया जाता है। अंकेक्षण विभाग द्वारा बार-2 पूर्व के वर्षों में लिखित रूप से आपत्ति उठाए जाने के उपरान्त भी उपरोक्त विषय पर कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है तथा न ही इस सन्दर्भ में लेखा प्रणाली में कोई उचित सुधार लाया गया है। टी.ए. चैक रजिस्टर तथा यात्रा भत्ता अग्रिम रजिस्टर भी नहीं रखा गया है। जिस कारण अधिक भुगतान किए गए है। इसी प्रकार के कुछ मामले उदाहरण स्वरूप नीचे दिए गए हैं :-

क्र.सं.	वाउचर नं0	दिनांक	राशि	कैफियत
1.	164	22.3.97	188.00	श्री एस.एस. चौहान, अधिशाषी अभियन्ता का यात्रा भत्ता दावा अवधि 20.3.96 से 28.3.96 तक
2.	68	6.3.97	2122.00	श्री कृष्ण लाल, पटवारी का अवधि 12/96 व 1/97 का यात्रा भत्ता दावा ।
3.	164	22.3.97	746.00	श्री एस.एस. चौहान, अधिशाषी अभियन्ता का अवधि 3,5,8,9,10 व 11/96 के लिए यात्रा भत्ता दावा।
4.	170	25.3.97	148.00	श्री पी.एन0 नेहरू, ए.ई.(इलैक्ट्रीकल) का अवधि 11/97 के लिए यात्रा भत्ता दावा
5.	91	15.6.96	471.00	श्री वी.के. गुप्ता, वरिष्ठ सहायक का अवधि 20.5.96 से 27.5.96 तक के लिए यात्रा भत्ता दावा ।

59 552

539

V) <u>वाउचर संख्या 37/4.6.96 5755 रु.</u>

रु. 5755 की यह राशि एच.पी. स्टेट इलैक्ट्रानिक एण्ड डिवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला को उनके प्रोफरमा इन्वाइस नं. 164/7.5.96 जो कि रु. 5755 की राशि के लिए कम्प्यूटर की स्टेशनरी सामान की खरीददारी के लिए प्राधिकरण के सप्लाई आदेश संख्या: एनवीपी-एडमन-(ए)-स्टेशनरी/95-2713-14, दिनांक 17.5.96 के सन्दर्भ में बतौर अग्रिम भुगतान प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। प्राधिकरण ने इसी प्रोफोरमा बिल पर अन्तिम भुगतान कर दिया गया अंतिम बिल आपूर्ति कर्ता निगम से प्राप्त करके क्रय की गई सामग्री की भण्डारण रजिस्टरों में स्टाक प्रविष्टियां भी की जाएं जिनका आगामी लेखा परीक्षा पर सत्यापन कराया जाए।

VI) <u>वाउचर संख्या 192/26.6.96 15923 रु.</u>

यह राशि दूर संचार विभाग को प्राधिकरण में लगाये गए दूरभाषों तथा प्राधिकरण के अधिकारियों के आवासों पर लगाए गए दूरभाषों के बिलों के भुगतान करने के लिए व्यय की गई थी, जिसके लिए सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त दूरभाषों का किसी भी प्रकार का रिकार्ड नहीं रखा गया था कि अमुक काल कार्यालय उद्देश्य से की गई थी अथवा समस्त दूरभाष सम्बन्धों का सरकार के निर्देशों के अनुसार अभिलेख/रजिस्टर रखा जाए। इस प्रकार के कुछ दूरभाष नम्बरों जिनमें अवधि 16.3.96 से 15.5.96 तक काल वार्षिज तथा अवधि 1.7.96 से 31.8.96 तक के किराए के खर्च का बिल शामिल है, का ब्योरा निम्न प्रकार से है :-

दूरभाष नं.	राशि (रु.)
221055	2107
230678	1382
221788	6415 ~~2461~~
221601	3461 ~~611~~
5504	611
222130	965
221764	982
कुल योग :	15923

VII) वाउचर नं. 227/29.6.96   12500 रु.

यह राशि श्री बी.आर. तंवर, अधीक्षक द्वारा रु. 11250 की स्वीकृति के विरूद्ध फोटोस्टेट मशीन में प्रयोग होने वाली स्याही की खरीद हेतु बतौर अग्रिम निकाली गई लेकिन इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस अग्रिम से सम्बन्धित समायोजन अभिलेख पूर्ण औपचारिकताओं सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

VIII) प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकार की छपाई का कार्य फर्नीचर तथा साज-सज्जा का सामान इत्यादि खरीदने हेतु विभिन्न भुगतान किए गए थे लेकिन इनके सन्दर्भ में किसी भी प्रकार से इनसे सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि खरीददारी का माध्यम/तरीका, निविदाऐं आमन्त्रित करने का नोटिस, निविदाऐं तथा खरीदे गए सामान को भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियां इत्यादि शामिल हैं, अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत है, जिनके सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित रिकार्ड आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए :-

क्र.सं.	वाउचर संख्या	दिनांक	राशि	कैफियत
1.	134	19.3.97	3422	मैसर्ज कृष्णा फरनीशिंग कं., शिमला से उनके बिल सं. 2250/3.1.97 द्वारा फरनीशिंग के सामान की खरीददारी।
2.	135	19.3.97	12113	मैसर्ज गोल्डन फरनीशर, न्यु दद., शिमला से उनके बिल सं. 347/7.2.97 द्वारा फरनीशिंग के सामान की खरीददारी।
3.	144	19.3.97	66984	मैसर्ज गोयल्स प्रेस, शिमला से विभिन्न प्रकार की छपाई हेतु उनके निम्न बिलों द्वारा छपाई के कार्य हेतु किया गया भुगतान :-

बिल संख्या	दिनांक	राशि
139	21.8.96	2096
300	9.9.96	7712
297	7.9.96	22794
299	8.9.96	24382
	कुल योग :	66984 रु.

 541

IX) वाउचर संख्या 190/27.3.97 895 रु.

श्री वाई.पी. गुप्ता, वास्तुकार के निजी आवास पर लगे दूरभाष के 16.11.96 से 15.1.97 तक के व्यय के कारण 895 रु. का भुगतान मात्र बिल की छायाप्रति के आधार पर किया गया था। उक्त राशि को डाकघर में जमा करने की पुष्टि में रसीद तथा निजी दूरभाष के खर्चों का ब्यौरा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया। इसके अतिरिक्त टैलिफोन काल की सीमा का भी कोई ब्यौरा भी उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा न ही प्राधिकरण द्वारा के घर पर लगे निजी फोन की Officialisation करवाने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। टैलिफोन कालज रजिस्टर भी नहीं बनाया गया था। उपरोक्त सभी त्रुटियों का लेखांकन किया जाए तथा समस्त बिन्दुओं की अनुपालना करने के उपरान्त आगामी लेखा परीक्षा पर पुष्टि कराई जाए।

X) 7568 रु. का दैनिक वेतनभोगी स्टाफ के लिए अधिकभुगतान :

लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया कि प्राधिकरण द्वारा उनके कार्यालय में लगाए गए विभिन्न दैनिक वेतनभोगी स्टाफ को रविवार तथा द्वितीय शनिवार अथवा राजपत्रित अवकाश वाले दिवसों के लिए भी भुगतान किया जाता रहा है तथा इस स्टाफ को छुट्टी वाले दिवसों पर कार्यालय में उपस्थिति हेतु किसी भी प्रकार के कार्यालय आदेश जारी नहीं किए गए हैं और न ही उन द्वारा किए गए कार्य का कोई ब्यौरा रखा जाता है। अवकाश के दिनों में यद्यपि प्राधिकरण का कार्यालय अन्य कार्यालयों की भान्ति बन्द ही रहा तथापि 7568 रु. का इन अवकाश के दिनों का वेतन भी अदा करने के कारण माह 5/96 तथा 2/97 में अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है, जो सम्बन्धित दैनिक वेतन भोगी स्टाफ से अथवा दोषी व्यक्ति से वसूल कर प्राधिकरण के खाते में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए। यदि भविष्य में दैनिक वेतन भोगी स्टाफ के छुट्टी वाले कार्य दिवसों के लिए कार्यालय उपस्थिति हेतु आवश्यकता हो तो इस सन्दर्भ में उचित होगा विशिष्ट रूप से कार्यालय द्वारा आदेश जारी किए जायें। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित मासों 5/96 तथा 2/97 के अतिरिक्त वर्ष 96-97 के दौरान

अन्य मासों में छुट्टी वाले कार्य दिवसों तथा इस परिणाम स्वरूप मिले Paid holidays की आवश्यक गणना करके इस एवज में Wages के रूप में किए गए भुगतान की वसूली बारे विभागीय तौर पर छानबीन करें तथा अनुपालना की आगामी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि कराई जाये।

लगातार ....

50

543

1. S.No.	Name 2. & Designation	3. Rate	4. Month	5. days	6. 2nd Sat./ G.H.	7. Sun./PH after 6 days	9. Total Amt. paid for Col. 6&7	9 Remarks
1.	Sh. Sat Ram, Peon	45.75	2/97	28	1	1	91.50	8/2 - 2nd Saturday, 9/2- Sunday paid without O/O work justification
2.	Sh. Vachdev Sharma, SDM	109.80	2/97	28	1	1	219.60	8/2-end Saturday 9/2- Sunday(PH)
3.	Smt. Raj Sharmla, SDM	109.80	2/97	28	1	1	219.60	-do-
4.	Sh. Kashmir Singh, JDM	73.20	2/87	28	1	1	146.40	-do-
5.	Sh. Tapas Kumar, Peon/FD	56.95	2/97	28	1	1	113.90	-do-
6.	Sh. Amin Chand, Clerk	57.95	2/97	28	1	1	115.50	
7.	Sh. Roshan Lal, Peon	45.75	2/97	28	1	1	91.50	
8.	Sh. Parkash Chand, Peon	45.75	2/97	28	1	1	91.50	
9.	Sh; Shambu Ram, Chowkidar	45.75	2/97	28	1	1	91.50	-do-
10.	Sh. Madho Ram, Beldar	45.75	2/97	28	1	1	91.50	
11.	Sh. Lal Chand, Beldar	45.75	2/97	28	1	1	91.50	
12.	Smt. Karmi Sharma, Clerk	57.95	2/97	28	1	1	115.50	
13.	Sh. Naresh Kumar, Clerk	57.95	2/97	28	1	1	115.50	
14.	Sh. Madan Singh, Peon	45.75	2/97	28	1	1	91.50	
							1686.50	

S.No.	Name	Vr.No.	Designation	Rate	Month	Paid days	LH/2nd Sat.	Sun./LH after 6 days	Total Amt. paid for GH/2nd Sat.	Remarks
1.	Sh. Manohar Lal		Peon	45.75	2/97	28	1	1	91.50	8/2-2nd Saturday 9/2-Sunday,PH. before 6 presence & without work justification etc. Rs.100 Photostat allowance to be Verified.
2.	Sh. Jia Lal	21/1.3.97	Peon	45.75	2/97	28	1	1	91.50	-do- +Attendence Register & Muster Rolls to be verifeid
3.	Sh. Jeet Ram	21/	Driver	62.50	2/97	28	1	1	125.00	
4.	Sh. Raji	19/1.3.97	Coal boy	45.75	2/97	28	1	1	91.50	8/2- 2nd Saturday 9/2-Sunday PH before 6-day without work justification attendence register to be verified.
5.	Anju	19/1.3.97	-do-	45.75	2/97	28	1	1	91.50	
6.	Fateh Singh	65/6.3.97	Peon	45.75	1/97	31	2	2	183.00	11/1 -2nd Sat. 12/1 Sunday 25/1- GH. 26/1 PH
									674.00	

S.N.	Name & Designation	Rate	Month	Paid days	GH/2nd Sat.	Sunday/PH after 6 days	Total Amt. paid in excess without orders	Remarks
1.	Sh. Kushal Singh, Peon	45.75	5/96	31	3	3	274.50	3,5,11,12(GH 2,8) paid in excess/without [illegible] work justification
2.	Mrs. Raj Sharma, JAD	109.80	5/96	31	3	2	549.00	3 GH, 11S.S. 5,12 PH/Sun. 28 GH
3.	Sh. Kashmir Singh, JDM	73.20	5/96	31	3	2	366.00	-do-
4.	Sh. Virender Sharma, JDM	109.80	5/96	31	3	2	549.00	-do-
5.	Sh. Tapas Kumar, Peon	45.75	5/96	31	3	2	228.75	-do-
6.	Sh. Amin Chand, Clerk	57.95	5/96	31	3	2	289.75	
7.	Sh. Roshan Lal, Peon	45.75	5/96	31	3	2	228.75	
8.	Sh. Het Ram, Peon	45.75	5.96	31	3	2	228.75	
9;	Sh. Shambhu Ram, Peon	45.75	5/96	31	3.	2	228.75	3 GH 11S.S. 5,12 PH/Sun. 28 GH (rows 6–14)
10.	Sh. Lal Chand, Beldar	45.75	5/96	31	3	2	228.75	
11.	Sh. Madho Ram, Beldar	45.75	5/96	31	3	2	228.75	
12.	Smt. Karuna Sharma, Clk.	57.95	5/96	31	3	2	289.75	
13.	Sh. Naresh Kumar, Clerk	57.95	5/96	31	3	2	289.75	
14.	Sh. Madan Singh, Peon	45.75	5/96	31	3	2	228.75	
							4209.00	

53 (546)

S.N.	Name & Designation	Rate	Month	Paid Days	GH/2nd Sat.	Sunday/ PH after 6 days	Total Amt. paid for GH/ 2nd Sat. without orders	Remarks
1.	Sh. Manohar Lal, Peon	45.75	5/96	31	3	2	228.75	3 GH 28 GH 5 S.S 5 Sun./PH 12 after 6 presence. +50 for photostat
2.	Sh. Jia Lal, Peon	45.75	5/96	31	3	2	228.75	3 GH 28 GH 5 S.S 5 Sun./PH 12
3.	Sh. Jeet Ram, Driver	62.50	5/96	31	3	2	312.50	-do-
4.	Sh. Fateh Singh, Chowkidar	45.75	5/96	31	3	2	228.75	-do-
							998.75	

1686.50
674.00
4209.00
998.75

7568.25

Say Rs. 7568/-

डिजाईन मण्डल

भण्डार एवं भण्डारण वस्तुऐं

पैरा:13 क्ष्) भण्डार सामग्री आपूर्ति की जी•आर• विलम्ब से काटने में अनियमितता

...

वर्ष 1996-97 की भण्डार सामग्री की जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि विभिन्न प्रकरणों में सीमेंट व स्टील की आपूर्ति सम्बन्धी जी•आर• विलम्ब से काटी गई जिसके लिए कोई ठोस प्रमाण व औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया। सी•पी• डब्ल्यु एकाउंट कोड नियम 7•2•5 के अनुसार सभी भण्डार सामग्री की प्राप्त होने पर तुरन्त जी•आर• काटी जानी अपेक्षित है तथा विलम्ब से काटी गई जी•आर अनियमित है। वर्ष 1996-97 के दौरान विलम्ब से काटी गई जी•आर का ब्यौरा निम्न प्रकार से है, जिसके लिए वास्तविक स्थिति से पूर्ण औचित्य के साथ अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराने को सुनिश्चित किया जाए :-

लगातार...

सामग्री का नाम व मात्रा (1)	जी० आर० संख्या व तिथि (2)	चालान नं० व तिथि (3)	सप्लायर का नाम (4)
सीमेंट - 180 बोरी	710 / 3.4.96	62963 / 14.2.96	हि० प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम।
स्टील - 16 एम० एम० 10.215 क्विंटल	713 / 6.4.96	395 / 11.2.96	मै० न्यू इन्डस्ट्रीज कन्दराड़ी।
सीमेंट - 180 बोरी	719 / 7.4.96	77813 / 18.3.96	हि० प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम।
सीमेंट - 180 "	731 / 24.4.96	14286 / 8.10.95	- यथोपरि -
सीमेंट - 180 "	731 / 24.4.96	82204 / 26.3.96	- यथोपरि -
सीमेंट - 180 "	738 / 30.4.96	83355 / 30.3.96	- यथोपरि -
सीमेंट - 180 "	739 / 1.5.96	23377 / 17.4.96	- यथोपरि -
सीमेंट - 180 "	753 / 15.5.96	82193 / 27.3.96	- यथोपरि -
सीमेंट - 180 "	754 / 16.5.96	94457 / 24.4.96	- यथोपरि -
सीमेंट - 180 "	758 / 19.5.96	76503 / 26.4.96	- यथोपरि -
सीमेंट - 180 "	771 / 1.6.96	5957 / 17.5.96	- यथोपरि -
सीमेंट - 180 "	772 / 3.6.96	1019 / 3.5.96	- यथोपरि -
सीमेंट - 175 "	773 / 4.6.96	7991 / 19.5.96	- यथोपरि -
	778 / 10.6.96	5450 / 13.5.96	- यथोपरि -
सीमेंट - 179 "	780 / 12.6.96	6359 / 15.5.96	- यथोपरि -

(1)	(2)	(3)	(4)
सीमेंट 180 बोरी	802 / 3.7.96	1036 / 1.5.96	हि० प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
सीमेंट 180 बोरी	806 / 7.7.96	14773 / 9.6.96	—यथोपरि—
" 180 "	806 / 7.7.96	5886 / 9.6.96	—यथोपरि—
" 180 "	808 / 11.7.96	14788 / 10.6.96	—यथोपरि—
" 180 "	808 / 11.7.96	21546 / 24.4.96	—यथोपरि—
" 180 "	822 / 2.8.96	22360 / 24.6.96	—यथोपरि—
" 180 "	823 / 3.8.96	21156 / 27.6.96	—यथोपरि—
" 180 "	833 / 17.8.96	22361 / 1.7.96	—यथोपरि—
" 180 "	839 / 23.8.96	18441 / 21.6.96	—यथोपरि—
" 180 "	863 / 19.9.96	41113 / 22.8.96	—यथोपरि
" 180 "	865 / 21.9.96	34074 / 11.8.96	—यथोपरि
" 180 "	868 / 26.9.96	25145 / 16.8.96	—यथोपरि—
" 180 "	868 / 26.9.96	38992 / 13.8.96	—यथोपरि—
" 180 "	891 / 29.10.96	32733 / 24.8.96	—यथोपरे—
" 179 "	902 / 8.11.96	53287 / 9.10.96	—यथोपरि—

(1)	(2)	(3)	(4)
सीमेंट — 180 बोरी	904 / 15.11.96	59018 / 12.10.96	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम।
" — 180 "	915 / 2.12.96	62633 / 22.10.96	— यथोपरि —
" — 180 "	925 / 11.12.96	62630 / 24.10.96	— यथोपरि —
" — 180 "	927 / 14.12.96	62634 / 28.10.96	— यथोपरि —
" — 180 "	937 / 2.1.97	76284 / 5.12.96	— यथोपरि —
" — 180 "	940 / 7.1.97	41146 / 26.8.96	— यथोपरि
" — 180 "	940 / 7.1.97	78497 / 8.12.96	— यथोपरि —
" — 180 "	941 / 8.1.97	78283 / 5.12.96	— यथोपरि —
" — 180 "	945 / 9.1.97	75201 / 2.12.96	— यथोपरि —
" — 180 "	946 / 18.1.97	82126 / 18.12.96	— यथोपरि —
" — 180 "	963 / 6.2.97	88758 / 9.1.97	— यथोपरि —
" — 180 "	974 / 19.2.97	92470 / 18.1.97	— यथोपरि —
" — 180 "	992 / 20.3.97	88757 / 8.1.97	— यथोपरि —

(ख) इण्डेंट संख्या:98/96 दिनांक 5.6.96

बी.सी.एस. के नीचे द्वितीय चरण के अन्तर्गत आवासीय बस्ती के निर्माण कार्य हेतु श्री आर.के. गर्ग, ठेकेदार को इण्डेंट संख्या 98/96 दिनांक 5.6.96 द्वारा 4.000 मि0 टन 20 एम.एम. स्टील जारी करने की स्वीकृति दी गई थी जिसके विरुद्ध दिनांक 14.6.96 को 2.582 मि0टन व 26.6.96 को 1.568 मि0 टन स्टील भण्डार से जारी किया गया। इस प्रकार स्वीकृत/ माँग की गई मात्रा से 0.150 मि0 टन स्टील ठेकेदार को माँग की मात्रा से अधिक जारी करने के कारण स्पष्ट करें तथा इस प्रकार की कुव्यवस्था पर उचित रोक लगाई जाए।

(ग) ठेकेदारों को डुप्लीकेट इण्डेंटों द्वारा भण्डार सामग्री जारी करने में अनियमितता:-

बी.सी. एस. के नीचे प्रथम व द्वितीय चरण के अन्तर्गत आवासीय बस्ती के निर्माण कार्य हेतु निम्नलिखित ठेकेदारों को 270 बोरी सीमेंट डुप्लीकेट इण्डेंटों पर जारी की गई जबकि मूल इण्डेंट अभिलेख में मौजूद नहीं थे। तथा मूल इण्डेंट की संख्या: तथा तिथि ही डुप्लीकेट में अंकित की गई थी। इन डुप्लीकेट इण्डेंटों पर ठेकेदार के सिवाए किसी के भी हस्ताक्षर नहीं थे। यह इण्डेंट सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत भी नहीं किए गए थे। डुप्लीकेट एण्डेंटों द्वारा जारी की गई सामग्री का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मूल इण्डेंटों से भण्डार सामग्री का लेखाकरण होना सुनिश्चित किया जाए। इस अनियमितता का लेखाकरण करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए :

क्रमांक	इण्डेंट सं. व तिथि	भण्डार सामग्री का नाम व मात्रा	ठेकेदार का नाम
1.	एच.पी.एन. बी.पी. अग्रवाल 31/96 दिनांक 11.4.96 (डुप्लीकेट)	सीमेंट 180 बोरी	श्री आर.के गर्ग
2.	एच.पी.एन.बी.पी. 30/96 सबीरेज दिनांक 9.4.96 (डुप्लीकेट)	सीमेंट 90 बोरी	श्री एम.के. मिश्रानी

... ...

(5) भण्डार से जारी निर्माण सामग्री को वास्तव में जारी की गई मात्रा से लेखाओं में अधिक दर्शाना

निम्नलिखित इण्डेंटों द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों को जारी की गई निर्माण सामग्री की कीमत का लेखांकन बिन कार्ड में जारी मात्रा से अधिक मात्रा में प्रयोग दर्शाकर किया गया । इस अधिक लेखांकित सामग्री की कीमत 50,555.00 रुपए निर्माण कार्यों पर व्यय के रूप में अधिक दिखाई गई है जो कि अनियमित है तथा निर्माण कार्यों पर वास्तविक से अधिक व्यय क्यों रूप में दिखाया गया है । इस राशि का सही लेखाकरन करके अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा में अवगत किया जाए ।

क्रमांक	इण्डेंट सं0 व तिथि/	इण्डेंट में ठेकेदार द्वारा प्राप्त दिखाई गई मात्रा	बिन कार्ड में जारी मात्रा	अधिक दिखाई गई मात्रा व राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1.	जे.एस.सी. 31/95-96 दि. 1.6.96 सीमेंट	100 बोरी	80 बोरी	20 बोरी 2672/-रु.
2.	के.बी.सी.आर-96/517 दि.20.6.96 सीमेंट	90 बोरी	40 बोरी	50 बोरी 6681/-
3.	एस.एन.एच.(टी)34-6/96 दिनांक 24.6.96 स्टोन 8 एम.एम.	1.240मि.	शून्य	1.240 मि.टन 21337/-
4.	139/96 दिनांक 7.8.96 स्टोन 20 एम.एम.	2.1 मि.टन	1.950 मि.टन	0.15 मि.टन 2494/-
5.	जे.एस.सी.-30/95-96 दि. 25.5.96 सीमेंट	180 बोरी	50बोरी	130बोरी 17371/-रु.

	निर्माण कार्य का नाम
	6.
1.	कुसुम्पटी क्षेत्र व्यावसायिक परिसर में ब्लाक 11-ए का निर्माण
2.	-यथोपरि- ब्लाक 25-ए व बी का निर्माण ।
3.	पी.सी.एस के नीचे 6 नम्बर टाईप -बी फ्लैट का निर्माण कार्य ।
4.	द्वितीय चरण में बी.सी.एस.के नीचे आवासीय परिसर का निर्माण ।
5.	क्षेत्र व्यावसायिक परिसर में ब्लाक 11-ए का निर्माण कार्य आदि

... गई तथा एक ही बिल

(छ.) विभिन्न निर्माण कार्यों से शेष बची निर्माण सामग्री का वापसी पर भण्डार में लेखांकन न करना ।

वर्ष 1996-97 के दौरान भण्डार में विभिन्न निर्माण कार्यों से वापिस प्राप्त शेष बची निर्माण सामग्री जिसकी कीमत 2,94,353.00 रुपए थी का लेखाओं में लेखांकन नहीं किया गया जबकि सम्बन्धित बिन कार्डों में प्रविष्टियाँ की गई थी । इस राशि के लेखांकन न करने के फलस्वरूप सम्बन्धित निर्माण कार्यों का व्यय अधिक व भण्डार की कीमत लेखों में कम दिखाई गई है जो कि अनियमित है । इस अनियमितता का लेखांकन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रमांक 1.	जी.आर.संख्या व तिथि 2.	निर्माण कार्य का नाम 3.	निर्माण कार्य सामग्री का नाम व मात्रा 4.	कीमत रु. 5.
1.	942 दिनांक 8.1.97	बी.सी.एस के नीचे चुरण-1व2 का निर्माण कार्य	डॉट स्टील 8 एम.एम. 0.143 मि.टन 20 एम.एम. 1.578 " 25 एम.एम. 0.900 "	2553.00 25721.00 14670.00
2.	943 दि. 8.1.97	यथोपरि	10 एम.एम. 0.369 " 25 " " 0.450 "	6458.00 7335.00
3.	944 दि. 9.1.97	यथोपरि	16 " " 0.500 " 20 " " 1.462 "	8350.0 23831.00
4.	959 दिनांक 4.2.97	यथोपरि	20 " " 2.000 " 10 " " 1.000 "	32600⁄00 17500.0
5.	975 दिनांक 21.2.97	यथोपरि	25 " " 0.727 "	11850.00
6.	982 दिनांक 28.2.97	यथोपरि	8 " " 0.110 " 8 " " 0.590 "	1964.00 10532.00
7.	984 दिनांक 3.3.97	यथोपरि	16 " " 0.760 " 25 " " 0.100 "	12692.00 1630.00
8.	986 दिनांक 10.3.97	यथोपरि	12 " " 1.670 "	28808.00
9.	950 दिनांक 27.1.97	यथोपरि	सीमेंट 300 बोरी	39300.00
10.	966 दिनांक 6.2.97	यथोपरि	~~[illegible] 9397.00~~ 150 बोरी	19650.00
11.	965 दि. 6.2.97	"	सी.जी.आई शीट्स 0.340 "	9397.00
12.	989 दि. [illegible] 17.3.97	कम्प्यूटर क्षेत्र व्यवसायिक परिसर में 32-ए ब्लॉक का निर्माण कार्य ।	~~कम्प्यूटर / केस~~ " 0.706 "	19512.00
			योग-	294353.00

(थ) जी.आर.संख्या:863 दिनांक 19.9.96

लेखा परीक्षण के दौरान बिन कार्ड संख्या: डी-11 की प्रविष्टियों को जी.आर. से मिलान करने पर पाया गया कि जी.आर. संख्या: 863 दिनांक 19.9.96 द्वारा हि०प्र० राज्य आपूर्ति निगम से प्राप्त 360 बोरी सीमेंट जिस की कीमत 45742/-रु0 थी का लेखों में लेखाकरण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप लेखों में भण्डार की कीमत कम दिखाई गई है जो कि अनियमित हैं। इस अनियमितता का अब लेखांकन करके अनुपालना से लेखा परीक्षण को अवगत करवाया जाए।

(छ) भण्डार से जारी की गई सामग्री के इण्डैंटों का लेखाकरण न करना

लेखा परीक्षण के दौरान वर्ष 1996-97 के दौरान भण्डार से जारी की गई निर्माण कार्य सामग्री के सम्बन्धित इण्डैंटों व बिन कार्डों की जाँच करने के उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित इण्डैंटों से विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न ठेकेदारों को जारी की गई निर्माण कार्य सामग्री जिसकी कीमत 3,30,978/- रुपये थी का लेखों में दिनांक 31.3.97 तक लेखांकन नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित निर्माण कार्यों व्यय कम दिखाया गया तथा भण्डार मूल्य अधिक दिखाया गया जो कि अनियमित है। इस अनियमितता का लेखांकन करके अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा में पुष्टि कराई जाए :-

क्रमांक	इण्डैंट संख्या व तिथि।	बिन कार्ड सं०	भण्डार से जारी सामग्री का नाम	मात्रा	कीमत
1.	233/96 3.1.97	डी-15	सी.जी.आई शीटज 10	2.00मि.टन	56379-00
2.	228/96 30.12.96	डी-57 डी.80	टोर स्टील 12 एम.एम. 10 एम.एम.	1.981" 1.928"	34855-00 34419.00
3.	1-16 1/97	डी-57	12 एम.एम.	2.448 "	43073.00
4.	एस.सी.20 1/97	डी-78	25 " "	2.982 "	49579.00
5.	एस.सी.22 1/97	डी-9	सी.जी.आई शीटज 8	1.00 "	28107.00
6.	232/96 7.1.97	डी-15	सी.जी.आई शीटज 10	3.00 "	84569.00
				योग :-	330981.00

(ज) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना भण्डार सामग्री जारी करने में अनियमितता:

लेखा परीक्षण के दौरान भण्डार लेखाओं की जांच पड़ताल के उपरान्त पाया गया कि वर्ष 1996-97 के दौरान निम्नलिखित इण्डैंटो द्वारा विभिन्न ठेकेदारों को भण्डार से निर्माण कार्य सामग्री सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिए बिना ही जारी की गई जो कि अनियमित है जबकि सी.पी.डब्ल्यु एकाँउट कोड के नियम 7.2.9 के अन्तर्गत स्पष्ट है कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही भण्डार से सामग्री जारी की जा सकती है। इस अनियमितता को रेगुलर करके अनुपालना दिखाई जाए :-

क्रमांक	इण्डैंट सं. व तिथि	सामग्री का नाम व मात्रा	ठेकेदार का नाम
1.	एस.पी.एन.सी.पी.अग्रवाल एण्ड कम्पनी -31/96 दिनांक 21.4.96	सीमेंट 90 बोरी	मै.अग्रवाल एण्ड कम्पनी
2.	एस.पी.एन.सी.पी.-अग्रवाल एण्ड कम्पनी दिनांक 21.4.96	सीमेंट 90 बोरी	यथोपरि
3.	एस.पी.एन.सी.पी-30/96 सिवरेज दि. 9.4.96	" 90 बोरी	श्री आर.एन. नदान
4.	261/97 दि. 7.3.97	[illegible]	श्री आर.के.गर्ग
5.	एस.सी.32 दिनांक 3/97	12/RALRA. 12 एम.एम 0.446 मि.टन 8 एम.एम 0.500 " 12 एम.एम.2.996 " 20 " " 3.639 "	" श्री एम.एल गुप्ता
6.	260/97 दिनांक 7.3.97	सी.जी.आई.शिट्स 10, 0.400 " "	श्री आर.के ठाकुर
7.	267/97 दिनांक 1.3.97	टोर स्टील 8 एम.एम. 0.986 " 10 " " 1.000 "" 12 " " 0.997 " "	"श्री बलविन्द्र गुप्ता
8.	259/97 दिनांक 7.3.97	सीमेंट 150 बोरी	मै. लिम इंजीनियर

(झ) <u>इन्डैंट सं० एस.डी.1-01 दिनांक 3/97</u>

उक्त इण्डैंट द्वारा हि०प्र० लोक निर्माण विभाग मण्डल -1 को श्री ए.के.शर्मा के माध्यम से 200 बोरी सीमेंट ऋण के रूप में जारी की गई जिसकी कीमत 26544 रूपये काटी गई थी परन्तु लेखा परीक्षण में पाया गया कि न तो यह सामग्री वापिस प्राप्त की गई और न ही इसकी कीमत वसूल की गई। इस सामग्री की वसूली सुनिश्चित की जाए।

8 विभिन्न ठेकेदारों को भण्डार से जारी की गई भण्डार सामग्री की वसूली के सम्बन्ध में

लेखा परीक्षण में पाया गया कि वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न ठेकेदारों को निम्नलिखित इण्डेंटों द्वारा जारी की गई निर्माण सामग्री के वसूली सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । अतः उक्त जारी किए गए भण्डार सामग्री की वसूली आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए :

क्रमांक	इण्डेंट सं० व तिथि	सामग्री का नाम	मात्रा	ठेकेदार का नाम
1.	सी.आर.टी/सी.सी.7/96 दिनांक 30.4.96	सीमेंट	5 बोरी	श्री राजीव मल्होत्रा
2.	जे.एस.सी.30/95-96 दिनांक 23.5.96	सीमेंट	180 बोरी	श्री जिया लाल चौहान
3.	आई.एस./96-बिटूमैन दिनांक 14.8.96	बिटूमैन	50 ड्रम	श्री उमेश शर्मा
4.	सी.आर.टी/एस.एच.एस 9/96 दिनांक 13.8.96	सिमेंट	50 बोरी	श्री ओ.पी. ठाकुर
5.	सी.आर.टी/एस.एच.एस 8/96 दिनांक 1.8.96	"	25 बोरी	श्री आदेश कुमार
6.	आई. एस./96-स्पैशल रिपेयर 11 दिनांक 7.9.96	"	40 बोरी	श्री राजीव मल्होत्रा

... ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	आई०एस०/96-31/39-7 सिडूकैन दिनांक 23.9.96	सिडूकैन	25 ट्रक	श्री ईश्वर शर्मा
8.	आई०एस०/96 एस०आर० ब्लॉक-10 दिनांक 9/96	सीमेंट	10 बोरी	श्री विकास चौहान
9.	सी०आर०पी०/एस०एच०एस०/17/96- दिनांक 15.10.96	सीमेंट	25 बोरी	श्री मुकन्द लाल
10.	सी०आर०पी०/एस०एच०एस०/18/96 दिनांक 16.10.96	सीमेंट	10 "	मै० कुन्दन लाल हरिशक
11.	सी०आर०पी०/एस०एच०एस०/14/96- दिनांक 26.10.96	सिडूकैन	6 ट्रक	श्री सी०आर० तनवर
12.	आई०एस०/96-ए/सड़क-I दिनांक 15.10.96	सीमेंट	15 बोरी	श्री आदेश कुमार
13.	आई०एस०/96-ए/सड़क-I दिनांक 6.11.96	सीमेंट	180 बोरी	श्री बलविन्द्र गुप्ता
14.	ए०वी०जी०-28/96-97 दिनांक 29.10.96	सीमेंट	90 "	श्री अजय गुप्ता
15.	आई०एस०/96-ए/सड़क-II दिनांक 5.11.96	टार स्टील 8 एम०एम० 10 " " 16 " "	1.00 कि०टन 0.500 " 1.000 "	श्री बलविन्द्र गुप्ता
16.	सी०आर०पी०/एस०एच०एस० 13/96 दिनांक 26/9/96	8 " "	0.100 कि०टन	श्री सी०आर० तनवर
17.	ए०वी०जी०-30/96-97 दिनांक 16/12/96	सी०जी०आई० शीट्स पी०जी०आई० शीट्स	2.000 " 0.120 "	श्री अजय गुप्ता
18.	आई०एस०/96-बी/के०-1 दिनांक 28.11.96	सीमेंट	100 बोरी	श्री बलविन्द्र गुप्ता
19.	आई०एस०/96-बी/के०-II दिनांक 28.11.96	सीमेंट	100 "	श्री बलविन्द्र गुप्ता

65

554

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	आई० एस०/96-बी० के०-III दिनांक 28.11.96	सीमेंट	100 बोरी	श्री बलविंदर गुप्ता
21.	आई० एस०/96-बी० के०-IV दिनांक 23.12.96	सीमेंट	180 बोरी	-यथोपरि-
22.	आई० एस०/96-बी० के०-V दिनांक 27.12.96	सीमेंट	180 "	-यथोपरि-
23.	आई० एस०/96-ए/सड़क-VII दिनांक 26.12.96	सीमेंट	180 "	-यथोपरि-
24.	आई० एस०/96-ए/सड़क-VIII दिनांक 26.12.96	सीमेंट	180 "	-यथोपरि-
25.	बी० के० पी०-पार्किंग-1/96-97 दिनांक 2.11.96	सीमेंट	100 "	-यथोपरि-
26.	ए० जी०-01/96/97 दि० 18.12.96	सीमेंट	60 "	श्री अजय गुप्ता
27.	ए० जी०-02/96/97 दि० 23.12.96	सीमेंट	70 "	-यथोपरि-
28.	ए० जी०-03/96/97 दि० 30.12.96	सीमेंट	30 "	-यथोपरि-
29.	ए० के० जी०-23/96/97 दिनांक 3.12.96	सीमेंट	100 "	-यथोपरि-
30.	सी० आर० टी०/एस० एच० एस०-23/96 दि० 12.12.96	सीमेंट	75 "	श्री नरेश वर्मा
31	सी० आर० टी०/एस० एच० एस०-24/96 दिनांक 12.12.96	सीमेंट	25 "	श्री ज्ञान चन्द
32.	सी० आर० टी०/एस० एच० एस०-25/96 दिनांक 12.12.96	सीमेंट	50 "	श्री ज्ञान चन्द
33.	सी० आर० टी०/एस० एच० एस०-25/96 दिनांक 27.12.96	सीमेंट	60 "	श्री ओ० पी० ठाकुर
34.	सी० आर० टी०/एस० एच० एस०-26/96 दिनांक 17.12.96	सीमेंट	100 "	श्री सी० आर० लखन
35	सी० आर० टी०/एस० एच० एस०-20/96 दिनांक 20.10.96	सीमेंट	40 "	श्री कुन्दन लाल - [illegible]
36.	आई० एस०-96-बी० के०-VI दिनांक 18.1.97	सीमेंट	20 "	श्री बलविंदर गुप्ता
37.	आई० एस०-96-बी० के०-VII दिनांक 18.1.97	सीमेंट	60 "	श्री बलविंदर गुप्ता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38.	आई० एस०/96-बी०के०-VIII दि० 18.1.97	गांजा	60 बोरी	श्री बलविन्द्र गुप्ता
39.	आई० एस०-97-बी०के०-IX दिनांक 18.1.97	"	90 "	-यथोपरि-
40.	बी०जी०-01/24/97 दिनांक 6.1.97	"	180 "	-यथोपरि-
41.	बी०जी०-04/24/97 दिनांक 14.1.97	"	90 "	-यथोपरि-
42.	एन०के०जी०-31/96-97 दिनांक 16.12.96	"	120 "	श्री अजय कुमार गुप्ता
43.	ए०के०जी०-32/96-97 दिनांक 31.1.97	"	50 "	-यथोपरि-
44.	ए०जी०-04-96/97 दिनांक 7.1.97	"	50 "	-यथोपरि-
45.	सी०आर०टी०/एस०एल० एस०-35/97 दिनांक 17.1.97	"	8 "	श्री कुन्दनलाल [illegible]
46.	सी०आर०टी०/एस०एल० एस०-36/97 दिनांक 17.1.97	"	6 "	-यथोपरि-
47.	सी०आर०टी०/एस०एल० एस०-32/96 दिनांक 7.1.97	"	5 "	श्री रमेश कुमार
48.	बी०जी०/02/24/97 दिनांक 6.1.97	हशीश	10 एम०एम० 1.885 कि०ग्रा० 12 " " 0.963 " " 25 " " 2.303 " "	श्री बलविन्द्र गुप्ता
49.	बी०जी०/03/24/97 दिनांक 7.1.97		8 " " 0.905 " " 16 " " 0.996 " " 25 " " 4.950 " "	-यथोपरि-
50.	बी०जी०/05/24/97 दिनांक 27.1.97		20 " " 5.430 " "	-यथोपरि-
51.	आई०एस०/96-31/39-97 दिनांक 4.1.97		12 " " 2.723 " "	श्री सतीश गोयल
52.	आई०एस०/96-31/35 [illegible] दिनांक 28.1.97	हेरोइन	4 ग्रा०	श्री आर०डी० शर्मा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53.	आई० एल० /97-बी०के०-V दिनांक 8.1.97	सीमेंट	120 बोरी	श्री कमलकिशोर
54.	आई० एल०/97-बी०के०-X दिनांक 31.1.97	सीमेंट	90 "	-यथोपरि-
55.	आई एल०/97-बी०के०-XI दिनांक 8.1.97	सीमेंट	180 "	-यथोपरि-
56.	बी०के०जी०-24/97 दिनांक 1.2.97	सीमेंट	90 "	-यथोपरि-
57.	बी०के०जी०-08-24/97 दिनांक 7.2.97	सीमेंट	180 "	-यथोपरि-
58.	सी०आर०टी०/एस० एल०एल०-39/97 दिनांक 28.1.97	सीमेंट	120 "	अ० कार्यपालक अभियन्ता
59.	सी० आर० टी०/एस० एल० एल०/42/97 दिनांक 20.2.97	सीमेंट	180 "	-यथोपरि-
60.	विकास-01/97 दिनांक 31/1/97	सीमेंट	100 "	श्री विकास चौहान
61.	आई एल/96-ए/सड़क-II दिनांक 7.2.97	सीमेंट	10 "	श्री ओमप्रकाश
62.	ए०के०जी०/33/96-97 दिनांक 12.2.97	सीमेंट	100 "	श्री अजय गुप्ता
63.	सी० आर० टी०/एस० एल० एल०-40/97 दिनांक 31.1.97	सीमेंट	20 "	श्री नरेश वर्मा
64.	सी० आर० टी०/एस० एल० एल०-34/97 दिनांक 14.1.97	सीमेंट	40 "	श्री ओम चन्द
65.	सी० आर० टी०/एस० एल० एल०-43/97 दिनांक 21.2.97	सीमेंट	40 "	-यथोपरि-
66.	सी० आर० टी०/एस० एल० एल०/44/97 दिनांक 28.2.97	सीमेंट	10 "	श्री ओ०पी० ठाकुर
67.	सी० आर० टी०/एस० एल० एल०/41/97 दिनांक 1.2.97	सीमेंट	100 "	-यथोपरि-
68.	सी० आर० टी०/एस० एल० एल०-38/97 दिनांक 25.1.97	सीमेंट	45 "	-यथोपरि-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69.	सतौश -34ए/95-96 दिनांक 20.1.97	सरिया (स्टील) 8 एम०एम०	2.990 कि०टन	श्री सतीश मोहन
		10 " "	2.590 " "	
		12 " "	1.995 " "	
		16 " "	1.998 " "	
		20 " "	1.067 " "	
		25 " "	4.024 " "	
70.	बी०के०-ट- 24/97 दिनांक 30.1.97	8 " "	1.651 " "	श्री बलविन्द गुप्त
71.	बी०जी०/12/24/97 दिनांक 3.3.97	20 " "	1.997 " "	-यथोपरि-
72.	बी०जी०/13/24/97 दिनांक 6.3.97	8 " "	3.000 " "	-यथोपरि-
		10 " "	2.000 " "	
73.	बी०जी०/15/24/97 दिनांक 7.3.97	25 " "	5.500 " "	-यथोपरि-
74.	बी०जी०/16/24/97 दिनांक 14.3.97	16 " "	2.000 " "	-यथोपरि-
75	बी०जी०/20/24/97 दिनांक 21.3.97	10 " "	3.797 " "	-यथोपरि-
		16 " "	1.980 " "	
76.	बी०जी०/21/24/97 दिनांक 26.3.97	8 " "	1.500 " "	-यथोपरि-
		20 " "	3.000 " "	
77.	बी०जी०/11/24/97 दिनांक 28.2.97	सीमेन्ट	180 बोरी	श्री बलविन्द गुप्त
78.	बी०जी०/14/24/97 दिनांक 8.3.97	सीमेन्ट	180 "	-यथोपरि-
79	बी०जी०/16/24/97 दिनांक 10/3/97	सीमेन्ट	180 "	-यथोपरि-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
80.	बी०जी०/17/24/97 दिनांक 13.3.97	सीमेंट	100 बोरी	श्री कुलविन्द गुप्ता
81.	बी०जी०/19/24/97 दिनांक 18.3.97	सीमेंट	180 "	—यथोपरि—
82.	बी०जी०/22/24/97 दिनांक 18.3.97	सीमेंट	180 "	—यथोपरि—
83.	बी०के०जी०/पार्किंग/3/97 दिनांक 17.3.97	सीमेंट	100 "	—यथोपरि—
84.	आई०एस०/97-बी०के०ए० दिनांक 3.3.97	सीमेंट	100 "	—यथोपरि—
85.	आई०एस०/97-बी०के०बी० दिनांक 10.3.97	सीमेंट	100 "	—यथोपरि—
86.	आई०एस०/97-बी०के०सी० दिनांक 19.3.97	सीमेंट	180 "	—यथोपरि—
87.	सी०आर०टी०/एस०एस०एस०/46/96 दिनांक 11.3.97	सीमेंट	27 "	श्री ओ०पी० ठाकुर
88.	सी०आर०टी०/एस०एस०एस०/47/97 दिनांक 10.3.97	सीमेंट	40 "	श्री ज्ञान चन्द
89.	सी०आर०टी०/एस०एस०एस०/45/97 दिनांक 28/2/97	सीमेंट	180 "	मै० कपिल कन्सट्रक्शन
90.	ए०के०जी०/36/96-97 दिनांक 25.2.97	सीमेंट	100 "	श्री आनन्द गुप्ता
91.	ए०के०जी०/35/96-97 दिनांक 13.3.97	सीमेंट	25 "	—यथोपरि—
92.	ए०के०जी०/30/96-97 दिनांक 18.3.97	सीमेंट	100 "	—यथोपरि—

(ट) 59289/- रुपए की कीमत की टोर स्टील का संदिग्ध दुर्विनियोजन

लेखा परीक्षा के दौरान वर्ष 1996-97 के भण्डार लेखों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि 3.634 मिट्रिक टन टोर स्टील 12 व 16 एम.एम.डाया का बिन कार्डों में जारी निम्नलिखित इण्डेंटों द्वारा किया गया दर्शाया गया था किन्तु उक्त इण्डेंटों में अवलोकन से ज्ञात होता है कि उन इण्डेंटों में यह मात्रा शून्य दर्शाई गई है जिसके परिणामस्वरूप 3.634 मि.टन स्टील का जिसकी कीमत निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 59289 रुपए बनती है का संदिग्ध दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है क्योंकि उक्त इण्डेंटों द्वारा कोई स्टील वास्तव में जारी ही नहीं किया गया है तथा न ही किसी ठेकेदार से वसूली की गई है। जो कि बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा सरकारी निधि का दुरुपयोग है जिसके लिए उचित क कार्यवाही अपेक्षित है व संदिग्ध दुर्विनियोजित राशि की प्रतिपूर्ति तुरन्त की जाए व दोषी कर्मचारी के विरुद्ध उचित ~~अनुशासनात्मक~~ कार्रवाई की जाए।

क्रमांक	इण्डेंट सं व तिथि	जारी करने की तिथि व मद	बिन कार्ड संख्या:	बिन कार्ड में जारी मात्रा	इण्डेंट में जारी मात्रा	दुर्विनियोजित मात्रा व राशि
1.	94/96 दिनांक 25.5.96	31.5.96 12 एम.एम.	~~12/EAAEA~~ / डी-52	1.00 मि.टन	शून्य	1 कि.टन 16750
2.	एच.पी.एन.बी.पी/ ए.ए. 68/96 दिनांक 2.5.96	25.5.96 16 एम.एम.	डी-58	0.634 मि.टन	शून्य	0.634 मि.टन 10239
3.	-यथोपरि	31.5.96 16 एम.एम.	डी-58	2.000 मि.टन	शून्य	2.000 " " 32300
					योग:	59289.00रु.

(2) इण्डेंट संख्या: 66/96 दिनांक 8.5.96

बी.पी.एस.(मित्तोप चरण आवासीय बस्ती) के नीचे निर्माण कार्य हेतु श्री आर.एस.राणा ठेकेदार को दिनांक 25.5.96 को स्टील इण्डेंट संख्या: 66/96 द्वारा 12 एम.एम. 1.015 मि.टन स्टील जारी किया गया जबकि वास्तव में बिन कार्ड संख्या: 52 की प्रविष्टि के अनुसार 1.019 मि.टन जारी किया गया तथा 0.004 मि.टन की मात्रा को ठेकेदार के खाते व निर्माण कार्य व्यय में लेखांकन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 0.004 मि.टन स्टील का दुर्विनियोजन किया गया जिसकी कीमत 67.00 रुपये बनती है इस राशि की प्रतिपूर्ति की जाए।

....

* इस वाउचर के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान सीमेन्ट के क्रय हेतु हि0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम को भुगतान किए गए अग्रिम व तत्पश्चात भण्डार में प्राप्त सीमेन्ट की कीमत का क्रय खाते को राशि 16374699/=रूपये का डेबिट कर के हि0प्र0 राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम के खाते में क्रेडिट कर के समायोजन किया गया । इस समायोजन वाउचर की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

... 1,63,51,828/- रूपए ...

3) <u>प्राईसड-स्टोरज लेजर का रख रखाव न करना :</u>

लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि भण्डार लेखे मण्डल स्तर में रखे लेखाओं से मेल नहीं खाते है जैसे कि मण्डलों की लेजरों तक कीमत माईनस 41,18,635.28 रू० है जबकि प्रत्यक्ष रूप में भण्डारण खातों में वास्तविक मात्रा दिनांक 31.3.97 को 25,14,915/- कीमत शेष थी इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भण्डारण लेखाओं वास्तविकता के प्रतिकूल रखा भी जा रहा है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

<u>समायोजन वाउचर संख्या: 3 वर्ष 96-97 राशि 16374699/-रू॰</u>

इस समायोजन वाउचर के साथ संलग्न विवरणियों व जी.आर. जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 1996-97 के दौरान (3780 पिछले तथा 125088 वर्तमान वर्ष) कुल 1,28,868 सीमेंट की बोरियाँ प्राप्त की गई जिसकी कुल कीमत हि०प्र० क/का खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के बिलों में लगाई गई दरों के अनुसार 1,63,51,828/- रूपए बनती है जबकि वास्तव में इस समायोजन वाउचर के अनुसार 1,29,048 बोरियों की कीमत की गणना की गई तथा इसकी कुल कीमत 1,63,74,699/- रूपए आँकी गई है। इस प्रकार हि०प्र० राज्य नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति निगम को 1,63,74,699/- रूपए का क्रेडिट दिया गया है जो कि वास्तव से अधिक है तथा 80बोरी की कीमत 22871/- रू० का अधिक क्रेडिट दिया गया है जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है क्योंकि हि०प्र० राज्य नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति निगम को 22871/- रूपए का अधिक एवं गलत क्रेडिट करके लाभ दिया गया है तथा हि०प्र० नगर विकास प्राधिकरण को अनुचित हानि (पँहुचाई गई है उक्त लेखाओं का शुद्धिकरण किया जाए।

हि॰ प्र॰ राज्य नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति निगम शिमला को सिमेंट की खरीद हेतु दिए गए अग्रिम राशि व प्राप्त की गई स्टाक मात्रा के मिलान में कोताही।

सिमेंट का क्रय हि॰ प्र॰ राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम के माध्यम से समय-2 पर अग्रिम भुगतान करके किया जाता रहा,

2) हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण ने केन्द्रीय भण्डारण का दायित्व डिजाईन मण्डल के अधीन वर्ष 1993-94 से सौंपा गया था जिसके अनुसार A/AAAA/ A/ अधिशासी अभियन्ता डिजाईन द्वारा केन्द्रीय भण्डार का क्रय किया जाता रहा तथा प्रतिवर्ष प्राप्त सीमेंट मात्रा की कीमत का समायोजन करके प्रतिवर्ष 31 मार्च को वास्तविक अग्रिम की xxx स्थिति निकाली गई। इस प्रकार वर्ष 1993-94 से 31 मार्च 1997 तक मण्डल के लेखों के अनुसार हि०प्र० नागरिक आपूर्ति निगम को 3,30,038/- रूपए के लिए खातों में लेनदार (creditor) दिखाया गया है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है। पिछले वर्ष AA/AAAAA/ का शेष आगामी वर्षों के खातों में उठाया नहीं गया है।

... .

एक दिन हटाये उतारे गई तथा एक ही दिन जोडी गई तथा एक ही दिन

अवधि	अन्तिम शेष (रु.)
1993–94	2,88,838 क्रेडिट
1.4.94 से 13.11.94	1,45,350 डेबिट
14.11.94 से 31.3.95	3,13,258 डेबिट
1995–96	1,36,975 क्रेडिट
1996–97	3,62,833 क्रेडिट

वर्ष 96-97 के दौरान 180 बोरों कीमत 22871/-रु.

का अधिक व गलत क्रेडिट दिया गया जिसे ठीक किया जाना है	22,871 डेबिट
31 मार्च 1997 को वास्तविक स्थिति	3,07,167/- क्रेडिट

उपरोक्त स्थिति के अनुसार जबकि संस्थान में दि०प्र० नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति निगम अग्रिम राशि प्राप्ति के विरूद्ध ही सीमेंट की आपूर्ति करती है इसलिए उनके खाते में क्रेडिट शेष का कोई औचित्य नहीं है। वर्ष 1996–97 के दौरान कुल अग्रिम राशि 16011866/-रु. 6480 मिट्रिक टन व 1,29,600 बोरों सीमेंट की आपूर्ति हेतु अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया। इस अग्रिम के विरूद्ध वर्ष 1996–97 के दौरान जी.आर. व बिल कार्डों की प्रविष्टियों के अनुसार कुल 125088 बोरों 6254.4 मि०टन (692 [illegible]) जिसकी कीमत दि०प्र० नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति निगम को विवरणीके अनुसार 15895432 रूपए बनती हैं। इस प्रकार दि०प्र० नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति निगम के नाम अग्रिम में से दिनांक 31.3.97 को 116434/- रूपए शेष थे। परन्तु दि०प्र० नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति निगम से [illegible] प्राप्त विवरणी के अनुसार 6480 मिट्रिक टन व 129600 बोरों की आपूर्ति की गई दिखाई है जिसकी कुल कीमत 16450099/20 रु. दर्शाई गई है व उन द्वारा 438233.20 रु. का अधिक सीमेंट आपूर्ति कियागया दिखाया है। इस राशि को पिछली शेष राशि को जोड़ कर कुल 544736/- रूपए प्रबन्ध निदेशक, दि०प्र० नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति निगम के पत्र संख्या: एस.पी.एम.डी.एस.डी./प्रो 24(36)/96–97–33769 दिनांक 6.12.96 द्वारा भुगतान करने की मांग की है जो कि वास्तविकता के प्रतिकूल है। इस प्रकार दि०प्र० नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम के अनुसार 129600

[illegible] गई तथा एक ही दिन

बोरी की आपूर्ति की गई थी जबकि डिजाईन मण्डल के लेखों के अनुसार वर्ष 1996-97 के दौरान दिए गए अग्रिम के विरूद्ध 125088 बोरी प्राप्त की गई थी । इस प्रकार 4512 बोरी दिनांक 31.3.97 तक डिजाईन मण्डल में हि०प्र० नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति निगम की विवरणी के अनुसार कम प्राप्त दिखाई गई है । जो कि लगभग 25 ट्रक बनते है जिसमें से 4/98 के दौरान 9 ट्रक व 1800बोरी प्राप्त की गई इस प्रकार 16 ट्रक के अन्तर को हि०प्र० राज्य नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति निगम शिमला के साथ उठाकर समाधान किया जाए क्योंकि यह एक गम्भीर अनियमितता है व अनुपालना से लेखा परीक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाए ।

छ) समायोजन वाउचर संख्या: 2 वर्ष 1996-97 राशि 4,12,31,211.00 रूपए :-

इस समायोजन वाउचर की जांच पड़ताल के उपरान्त निम्न-लिखित त्रुटियाँ पाई गई जिनके उपर कार्यवाही करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए ।

1) इण्डैंट संख्या: के/सी.बी.आर./96-558 दिनांक 23.9.96 द्वारा 50 बोरी सीमेंट राशि 6681/- रूपए ब्लाक सी -25-ए व सी-25 की सामाजिक आवास योजना के निर्माण कार्य हेतु जारी की गई जबकि लेखों में उक्त निर्माण कार्य को डेबिट न करके व्यवसायिक परिसर कुसुम्पटी क्षेत्र, शिमला के ब्लाक संख्या: 31,32,33 व 38 को निर्माण कार्य में डेबिट किया गया । इस प्रकार इस निर्माण कार्य पर यह 6681/-रूपए का अधिक एवं अनियमित व्यय दिखाया गया है ।

(2) हि०प्र० नगर विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-2 के इण्डैंट सं० 168/96 दिनांक 26.9.96 द्वारा 6 मिट्रिक टन टोर स्टील जिसकी कीमत 106210/- रूपए थी क्षितीय वर्ग में सी.सी.एस. के आवासीय बस्ती ब्लाक 41 व 42 के निर्माण कार्य हेतु जारी की गई जबकि वास्तव में इस निर्माण कार्य को 106210/ रु. के स्थान पर 139937/- रूपए डेबिट किए गए है जो कि गलत है । इस प्रकार इस निर्माण कार्य में 33727/- रूपए का अधिक व्यय दिखाया गया है तथा इसी प्रकार स्टाक खाते को 33066/- रूपए व स्टोर प्रभार को 661/- रु० का अधिक क्रेडिट किया गया है ।

... ...

§3§ इन्डेंट संख्या: एस.बी.एन.बी.पी/391/96 दिनांक 8.11.96 द्वारा 0.680 मि.टन स्टोर जिसकी कीमत 11946/- रुपए दिखाई हैं बी.बी.एस. के नीचे आवासीय बस्ती के निर्माण कार्य हेतु जारी किया गया परन्तु वास्तव में इसकी कीमत 12016/- रु बनती है। यह अन्तर स्टोर प्रभार की कम गणना करने के कारण है। इस इन्डेंट में स्टोर प्रभार वास्तव में 236/- रुपए के स्थान पर 166/- रु0 ही लिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप उक्त निर्माण कार्यों में 70/- रु0 कम व्यय दिखाया है तथा स्टोर प्रभार को 70 रु0 कम क्रेडिट किया गया है।

ग§ विभिन्न फर्मों के वास्तविक बिलों के बिना ही अग्रिम के समायोजन करने में अनियमितता।

निम्नलिखित समायोजन वाउचरों की जांच पड़ताल के उपरान्त पाया गया कि 23,04,503/- रुपए का स्टाक क्रय खाते को डेबिट करके विभिन्न फर्मों के अग्रिम को क्रेडिट किया गया परन्तु फर्मों के वास्तविक बिल जिसके आधार पर भण्डार सामग्री की वास्तविक कीमत की गणना की गई अभिलेख में सम्बन्धित समायोजन वाउचरों के साथ संलग्न नहीं थे जिसके न होने पर समायोजित की गई राशि की वास्तविकता की पुष्टि नहीं हो सकती। जिसे आगामी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

समायोजन वाउचर संख्या:	दिनांक	राशि
4 वर्ष	1996-97	15,27,259.00 रु0
5 वर्ष	1996-97	2,43,900.00 "
6 वर्ष	1996-97	5,33,344.00 "

घ§ समायोजन वाउचर सं0 7 वर्ष 1996-97 राशि 1,09,87,044 रु0

इस समायोजन वाउचर द्वारा राशि 1,09,87,044/-रु0 का स्टाक क्रय को डेबिट करके स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया मण्डी गोबिन्दगढ़ के अग्रिम खाते को क्रेडिट करके समायोजन किया गया। जबकि वास्तव में जी.आर की प्रविष्टियों के अनुसार यह राशि 1,09,86,577/- रुपए बनती है इस प्रकार फर्म को 467/- का अधिक क्रेडिट व स्टाक क्रय को अधिक डेबिट दिया गया

जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है । इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया के वास्तविक बिल समायोजन वाउचर के साथ संलग्न नहीं थे जिसके न होने पर समायोजित व की गई राशि की वास्तविकता की पुष्टि नहीं हो सकी । जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए :

1§ जी.आर. संख्या: 768 दिनांक 25.5.96 द्वारा 9.225 मि,टन स्टील 16 एम.एम. डाया 15356.64 रू. प्रति मिट्रिक टन की दर से स्टोर में प्राप्त किया गया जिसकी कुल कीमत जी.आर. प्रविष्टियों के अनुसार 141605/-रू. दिखाई है जबकि वास्तविक गणना के अनुसार इसकी कुल कीमत 141665/- रूपए बनती है । इस प्रकार 60/- रू0 की राशि कम समायोजित की गई है ।

2§ इसी प्रकार जी.आर. संख्या: 994 दिनांक 26.3.96 द्वारा 9.225 मिट्रिक टन स्टील 10 एम.एम. डाया 17574.80 रू0 प्रति मिट्रिक टन की दर से स्टोर में प्राप्त किया गया जिसकी कुलकीमत जी. आर प्रविष्टियों के अनुसार 1,62,655/- रू. दिखाई है जबकि वास्तविक गणना के अनुसार इसकी कुल कीमत 162128/- रू0 बनती है । इस प्रकार 527/- रू0 की राशि अधिक समायोजित की गई है । इस प्रकार दोनो जी.आर. के समायोजन में शुद्ध 467/- रू. की राशि का अधिक समायोजन किया गया ।

पैरा - 14 निर्माण कार्य व्यय:-

वाउचर संख्या: 20 दिनांक 7.6.96 राशि 43098.00 रू.

निर्माण कार्य का नाम : व्यवसायिक परिसर कुसुम्पटी क्षेत्र का निर्माण कार्य

उप शीर्ष:

1. ब्लाक सं0 14 व 15 के साथ केविटी वाल का निर्माण ।
2. ब्लाक -8 11-ए में कन्टीलीवर का निर्माण कार्य
3. —— यथोपरि ——
4. ब्लाक सं0 15 के बाँई ओर दुकान का निर्माण ।

निर्माण कार्य आदेश संख्या: 7,13,9 व 8 वर्ष 1996-97

उपरोक्त निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु श्री किशन चौहान संविदाकार को चैक संख्या: 205454 द्वारा 43098 रुपए की राशि की चार बिलों की राशि का संयुक्त रूप से भुगतान किया गया। इन निर्माण कार्य बिलों की जाँच करने पर निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं:-

क) सभी तीनों निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए सहायक अभियन्ता द्वारा कुटेशन आमन्त्रित की गई तथा 13.5.96 को ये खोली गई। सभी निर्माण कार्यों के लिए तीन संविदाकारों द्वारा कुटेशन भरी गई तथा तीनों निर्माण कार्यों के लिए एक ही संविदाकार की दरें न्यूनतम मानी गई तथा तदानुसार स्वीकृत की गई। स्वीकृत की गई दरों की पुष्टि हेतु दरों की पुष्टि हेतु दरों की औचित्यता तैयार नहीं की गई जिसके बिना स्वीकृत की गई दरों की औचित्यता व प्रमाणिकता स्पष्ट नहीं होती। इन निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए निर्माण कार्य आदेश में दिया गया प्रिमियम भी अलग-2 दिया गया तथा बहुत अधिक दिया गया जो कि उचित नहीं है। दिए गए प्रिमियम का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

इस प्रक्रिया से स्पष्ट है कि केवल कागजी औपचारिकताएं ही पूरी की गई

निर्माण कार्य आदेश सं.	निर्माण कार्य का नाम	दर सूची 1987 के अनुसार/ आधार पर कुल राशि	संविदाकार द्वारा उद्धृत दरों के आधार पर कुल राशि	स्वीकृत किया गया प्रिमियम
7/1996-97	ब्लाक सं014 व 15 के साथ केबिटी वाल का निर्माण निर्माण	11798/-	45108/-	282.33/
9 व 13 /96-97	ब्लाक 11-ए में कन्टोलीवर का निर्माण।	9869/-	25388/-	157.24 %
8/1996-97	ब्लाक सं. 15 के सीढ़ी ओर दुकान का निर्माण।	14223/-	40248/-	182.93%

इस प्रकार जबकि उपरोक्त निर्माण कार्यों की मदें एक ही है तथा एक ही दिन 23.5.96 को संविदाकार से बातचीत से दरें तय की गई। इसलिए अलग-2 प्रिमियम देने का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है। यह प्रिमियम तीनों निर्माण कार्यों के लिए 157.24% ही दिया जाना था क्योंकि एक ही संविदाकार को निष्पादन हेतु निर्माण कार्य आदेश दिए गए तथा एक दिन कुटेशन बुलाई गई तथा एक ही दिन खोली गई तथा एक ही दिन

नेगोसिएशन करके स्वीकृत भी की गई इस प्रकार इन निर्माण कार्यों में 157.24 % से अधिक दिए गए प्रिमियम की वसूली की जाए तथा 157.24% प्रिमियम दर का भी औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

ख) इसी प्रकार इन निर्माण कार्यों के तीन निर्माण कार्य आदेश 20,000/- रुपए तक स्वीकृत किए गए जबकि अनुमानित लागत इससे अधिक थी यह इसलिए किया गया ताकि नियमानुसार उच्चाधिकारियों से स्वीकृती न लेनी पड़े तथा शेष कार्य के लिए उसी ठेकेदार को अनुपूरक निर्माण कार्य आदेश स्वीकृत किया गया जो कि अनियमित था । निर्माण कार्य आदेश 9 व 13 वर्ष 1996-97 के अन्तर्गत एक ही निर्माण कार्य को दो भागों में बाँटा गया है । इस प्रकार अनुपूरक निर्माण कार्य आदेश जारी करना न केवल अनियमितता को लुप्त करने का एक प्रयास है अपितु नियमों के भी प्रतिकूल है इस अनियमितता का लेखांकन किया जाए इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने हेतु भी पूर्ण प्रयास किए जाएं ।

ग) इसी प्रकार ब्लाक 11-ए में कन्टीलीवर का निर्माण कार्य लागत अनुमान तैयार व स्वीकृत किए बिना ही निष्पादित किया गया । निर्माण कार्य आदेश के अनुसार निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए कुटेशन बुलाई गई जिसमें यह स्पष्ट नहीं था कि बिना अनुमान लागत स्वीकृत किए मात्राएं कहां से ली गई बिना लागत अनुमान स्वीकृत किए निष्पादित किए गए निर्माण कार्य का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनियमितता का लेखांकन किया जाए ।

पैरा - 15. वा0 सं0 43 दिनांक 26.6.96 राशि 14575/-रू.

निर्माण कार्य का नाम : सामाजिक आवास बस्ती कुसुम्पटी शिमला का निर्माण कार्य ।
उप शीर्ष: ब्लाक सी -6-11 के पिछे पानी के टैंक के लिए 100 एम.एम. डाया जी.आई पाईप के बिछाने का निर्माण कार्य ।

निर्माण कार्य आदेश संख्या: 10वर्ष 1996-97

उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए श्री संत राम संविदाकार को चैक सं0 205467 दिनांक 26.6.96 द्वारा 14575/- रू0 की राशि का प्रथम व अन्तिम बिल के रूप में भुगतान किया गया । इस बिल की जांच करने पर पाया गया कि इस निर्माण कार्य

के लिए मुख्य प्रशासक द्वारा पृष्ठांकन संख्या: एच.पी.एस.बी.पी. (डब्ल्यु) डी.बी.सामाजिक आवास /96 -1441-42 दिनांक 16.3.96 द्वारा 100 प्रतिशत लागत इन्डेक्स लगाकर 9615 रूपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 9615/- रूपए दी गई जबकि वास्तव में निर्माण कार्य आदेश व माप पुस्तिका संख्या: 103 पृष्ठ-41 व 42 की प्रविष्टि के अनुसार 14575/- रूपए का भुगतान किया गया । यह कार्य माप पुस्तिका की प्रविष्टी के अनुसार 12.4.96 से 29.4.96 की अवधि में किया गया तथा अनुसूचि दरें 1987 के आधार पर अनुमानित लागत 5498 रू. पर 14575 रू. का व्यय किया गया जो कि 165% प्रिमियम पर दिया गया है स्वीकृत राशि 9615/- रू.से 4960 रू. का अधिक व्यय किया गया तथा अधिक व्यय को नियमित करने हेतु कोई भी विनियमित/संशोधित स्वीकृति नहीं ली गई । इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि इस निर्माण कार्य का व्यय सामाजिक आवास बस्ती की पुंजीगत लागत के रूप में किया गया जबकि इस आवास बस्ती को पूर्ण हुए कई वर्ष हो चुकें हैं । इस प्रकार इस राशि को पूंजीगत लागत के रूप में व्यय दिखाना भी गलत व अनियमित है क्योंकि इसकी प्रशासनिक स्वीकृति जी.आई पाईप के बदलाव के लिए की गई थी तथा यह बस्ती के रख-रखाव के रूप में दिखाया जाना था । इस निर्माण कार्य के निष्पादन में की गई उपरोक्त त्रुटियों का लेखांकन करके अनुपालना से लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

16. वाउचर संख्या: 15 दिनांक 7.6.96 राशि 1,26,009/- रू.

निर्माण कार्य का नाम: सामाजिक आवास बस्ती कुसुम्पटी में ब्लाक सी-25-ए व सी-25-बी के मध्य स्टेप का व सी-25-बी ब्लाक के पीछे आर.सी.सी.दीवार का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या: 3 वर्ष 1996-97

उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए मै0 कुन्दन लाल हरि राम संविदाकार को चैक सं0 205451 दिनांक 7.6.96 द्वारा राशि 59539 रू. द्वितीय चलत बिल के रूप में भुगतान किया गया । इस बिल की जांच पड़ताल करने पर निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई ।

क) इस निर्माण कार्य के लिए [illegible] प्रशासक [illegible] नगर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुमान लागत/ प्राक्कलन के रूप में पत्र सं0 एच.पी.एन.बी.पी.(डब्ल्यू) सामाजिक आवास/96-310-11 दिनांक 12.1.96 द्वारा 195565 रुपए के लिए स्वीकृति की गई । अनुसूची दरें-1987 के आधार पर डी.एन.आई.टी 94935 रु. के लिए तकनीकी रूप से स्वीकृत की गई परन्तु वास्तव में निष्पादन हेतु इस निर्माण कार्य पर इस चलत बिल तक 432948/- रु0 व्यय किए जा चुके थे तथा अन्तिम बिल तक निर्माण कार्य पूर्ण होने तक लगभग 747553/- रु. व्यय होने की सम्भावना है जैसे कि माप पुस्तिका 126 पृष्ठ 33 की प्रविष्टियों से स्वतः स्पष्ट था । इस प्रकार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक ~~551988~~ व्यय की जाने वाली राशि 551988 रु. अनुमोदित व्यय से 282.25% अधिक है । यह व्यय सक्षम प्राधिकारी से संशोधित स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही किया जा रहा था जो कि बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा आपत्तिजनक है क्योंकि स्वीकृति से अधिक व्यय सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता है । इस निर्माण कार्य पर अधिक व्यय तकनीकी रूप से स्वीकृत मदों की मात्राओं से बहुत अधिक मात्राएँ निष्पादित करने के फलस्वरूप किया गया है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है ।

क्रमांक	मद का नाम	डी.एन.आई.टी व अनुबन्ध के अनुसार मात्रा	वास्तविक निष्पादित मात्राएं माप पुस्तिका 126 पृ.31 से 39
1.	भूमि का कटान	195.76 घन मीटर	699.82 घन मीटर
2.	नींव में खुदाई :	28.31 "	57.469 "
3.	प्रोवाईडिंग फोर्म वर्क:	81.24 वर्ग मीटर	159.57 वर्ग मीटर
4.	सीमेंट ~~प्लम~~ कंकरीट 1:6:12	15.79 घन मीटर	22.685 घन मीटर
5.	सीमेंट प्लम कनकरीट 1:5:10	67.77 "	314.035 "
6.	सीमेंट प्लम कनकरीट(स्टेप) 1:2:4	2.174 "	7.930 "
7.	पत्थर की चिनाई :	68.45 "	89.757 " "
8.	सीमेंट कनकरीट 1:2:4	7.82 " "	32.31 " "

...